घटती घटना

सत्य के साथ...जनहित में बात...

www.ghatatighatana.com अम्बिकापुर,वर्ष 22, अंक - 312- सोमवार 14- सितम्बर 2026,पृष्ठ - 8 मूल्य 2 रूपये RNI Reg.No.- CHHHIN/2004/15050,डाक पंजीयन. क्रं. 13/Surguja DN/ 2026-2028

सामने बैठे थे चीनी राष्ट्रपति,पीएम मोदी ने दिया कड़ा संदेश- क्रिटिकल मिनरल्स पर मनमानी बर्दाश्त नहीं

ब्रिक्स में ग्लोबल साउथ का विश्वास बढ़ा तकनीकी विकास समावेशी हो : प्रधानमंत्री मोदी

नई दिल्ली,13 सितम्बर 2026। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार को कहा कि ब्रिक्स में ग्लोबल साउथ के देशों का विश्वास बढ़ा है। इसका कारण यह है कि उनकी आवाज यहां सुनी जाती है और उनके अनुभव का सम्मान होता है। साथ ही समाधान उनके लिए नहीं बल्कि उन्हें साथ लेकर बनाए जाते हैं। इसके साथ ही उन्होंने तकनीक और दुर्लभ खनिजों को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किए जाने पर चिंता जताई और इनके उपयोग को समावेशी बनाए जाने पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने आज भारत मंडपम में आयोजित ब्रिक्स शिखर वार्ता के लचीलेपन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता पर आयोजित सत्र में अपने स्वागत भाषण में यह बातें कहीं। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स की शक्ति उसकी विविधता और सहयोग में है। ऐसे में विविधता ही हमारी पहचान बननी चाहिए, सहयोग ही हमारी प्रेरणा बनना चाहिए और हमारी प्रगति पूरी मानवता के काम आनी चाहिए। उन्होंने कहा,'आज यह सभागार अलग-अलग महाद्वीपों,संस्कृतियां और विकास यात्राओं को एक साथ जोड़ रहा है। यह ब्रिक्स की बढ़ती ताकत, आकर्षण और अभूतपूर्व विश्वास का प्रमाण है। ' मोदी ने कहा कि ब्रिक्स ने चार स्तंभों के माध्यम से समावेशी वैश्विक विकास को बढ़ावा देने के प्रयास किए हैं। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स के सभी प्रयास लचीलापन,नवाचार,सहयोग और सततता के पर केंद्रित रहे हैं। 'आज विश्व में तनावों की संख्या लगातार बढ़ रही है और सामान्य जनजीवन पर व्यापक रूप से बहुत नकारात्मक असर हो रहा है। महामारियां, क्लाइमेट डिजास्टर्स और सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन ने दिखाया है कि आज के इंटर-कनेक्टेड वर्ल्ड में कोई भी संकट एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता। इसलिए हमने ब्रिक्स समिट में रिजिलियंस बढ़ाने पर विशेष बल दिया है। ' प्रधानमंत्री ने बताया कि ब्रिक्स में संक्रामक रोगों की रोकथाम और प्रतिक्रिया के लिए ब्रिक्स इंटीग्रेटेड अर्ली वार्निंग सिस्टम पर सहमति बनी है। आपदा प्रबंधन के लिए प्रारंभिक चेतावनी डेटा एकीकरण दिशा-निर्देश तैयार किए गए हैं। ब्रिक्स लॉजिस्टिक्स सप्लाई चेन कोऑपरेशन फ्रेमवर्क हमारी सप्लाई चेन को अधिक विश्वसनीय और लचीला बनाने में सहायक होगा। उन्होंने बताया कि ब्रिक्स इनक्यूबेटर नेटवर्क के तहत हमारे स्टार्ट-अप्स और इनक्यूबेटर्स को जोड़ा जाएगा। इनोवेटिव और स्केलेबल समाधानों को बढ़ावा देने के लिए हमने ब्रिक्स स्टार्टअप इनोवेशन फंड का प्रस्ताव रखा है। डिजिटल कृषि पर ब्रिक्स नेटवर्क किसानों के लिए नई सूची तैयार करेगा। इसके माध्यम से एआई,भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी और डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर को किसानों की वास्तविक जरूरतों से जोड़ा जाएगा। हमने ब्रिक्स कनेक्ट के माध्यम से कौशल,रोजगार क्षमता,कार्यबल में महिलाओं, सामाजिक सुरक्षा और क्षमता निर्माण को बढ़ावा दिया है।' उन्होंने बताया कि छोटे उद्यमों को ज्ञान, वित्त और नए बाजारों से जोड़ने के लिए,ब्रिक्स एमएसएमई सहयोग पोर्टल की पहल की गई है। हमारे शहरों के बीच सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के लिए ब्रिक्स अर्बन मोबिलिटी हब की स्थापना की गई है। स्मार्ट ग्रिड और ऊर्जा भंडारण के लिए हमने ब्रिक्स डिजिटल उत्कृष्टता केंद्र बनाया है। यह हमारी स्वच्छ ऊर्जा प्रणालियों को अधिक विश्वसनीय, कुशल और सुलभ बनाने में मदद करना चाहता है।' प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स में विकसित समाधानों का लाभ ग्लोबल साउथ तक पहुंचना चाहिए। इन समाधानों को स्थानीय जरूरतों के अनुरूप ढालने के साथ सस्ता और आसानी से अपनाने योग्य बनाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि हमारी प्रगति का लाभ पूरी मानवता को मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री ने विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय सभ्यता में प्रकृति को मां का दर्जा दिया गया है। विकास और पर्यावरण एक-दूसरे के विकल्प नहीं बल्कि पूरक हैं। इसलिए संतुलित विकास का रास्ता अपनाना जरूरी है।

क्रिटिकल मिनरल्स पर मनमानी बर्दाश्त नहीं

शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक मंच से एक कड़ा और रणनीतिक संदेश दिया है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मौजूदगी में पीएम मोदी ने बिना किसी देश का नाम लिए स्पष्ट चेतावनी दी कि तकनीक और क्रिटिकल मिनरल्स (महत्वपूर्ण दुर्लभ खनिजों) का इस्तेमाल किसी भी सूरत में कूटनीतिक या व्यापारिक हथियार के तौर पर नहीं होना चाहिए। उन्होंने पुरजोर वकालत की कि तकनीक के प्रसार में एकाधिकार के बजाय समावेशिता होनी चाहिए, ताकि दुनिया का कोई भी हिस्सा विकास की दौड़ में पीछे न छूटे। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में रेखांकित किया कि आधुनिक तकनीक और आवश्यक खनिजों की सप्लाई चेन पर किसी एक देश का नियंत्रण पूरे विश्व के साझा विकास और आर्थिक प्रगति की रफ्तार को रोक सकता है। उन्होंने कहा कि आज के दौर में निष्पक्ष और पारदर्शी सप्लाई चेन ही वैश्विक स्थिरता की गारंटी है। किसी संसाधन को दबाव बनाने का जरिया बनाना अंतरराष्ट्रीय विश्वास और आर्थिक संतुलन के लिए गंभीर खतरा है। कूटनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि प्रधानमंत्री मोदी का यह बयान सीधे तौर पर चीन की कार्यप्रणाली पर लक्षित था। वर्तमान में चीन के पास दुनिया की 90 फीसदी से अधिक रेयर अर्थ रिफाइनिंग क्षमता मौजूद है।

प्रधानमंत्री मोदी की नाइजीरिया,दक्षिण अफ्रीका और बुरुंडी के शीर्ष नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार को 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर अफ्रीकी महाद्वीप के तीन प्रमुख नेता नाइजीरिया के उपराष्ट्रपति काशिम शेट्टिमा मुस्तफा,दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा और अफ्रीकी संघ (एयू) के अध्यक्ष व बुरुंडी के राष्ट्रपति एवारेस्टे नदाइशिमिये के साथ अलग-अलग द्विपक्षीय बैठकें कीं। इन बैठकों में व्यापार, निवेश, रक्षा, डिजिटल प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग तथा 'ग्लोबल साउथ' की प्राथमिकताओं को मजबूती से उठाने पर सहमति बनी। साथ ही भारत-अफ्रीकी संघ साझेदारी को नई गति देने और चौथे भारत-अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन के जल्द आयोजन पर भी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नाइजीरियाई प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे उपराष्ट्रपति काशिम शेट्टिमा मुस्तफा के साथ वार्ता में बहुआयामी द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने व्यापार एवं निवेश, रक्षा एवं सुरक्षा,ऊर्जा साझेदारी, कृषि, स्वास्थ्य और डिजिटल प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में सहयोग को और गहरा करने पर जोर दिया। दोनों नेताओं ने अधिक प्रतिनिधि,समावेशी और बहुध्रुवीय वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए बहुपक्षीय मंचों पर तालमेल बढ़ाने का संकल्प व्यक्त किया। नाइजीरियाई उपराष्ट्रपति ने देश में क्षमता निर्माण और आर्थिक विकास में भारत के योगदान की सराहना की।

बुजुर्गों के सम्मानजनक जीवन के लिए केंद्र ने 142 नए वृद्धाश्रम किए मंजूर

नई दिल्ली,13 सितम्बर 2026। केंद्र सरकार ने देशभर में वरिष्ठ नागरिकों की स्वास्थ्य सुरक्षा, कल्याण और गरिमापूर्ण जीवन को सुनिश्चित करने के लिए 142 नए वरिष्ठ नागरिक गृह (वृद्धाश्रम) मंजूर किए हैं। अब तक 2.88 लाख से अधिक बुजुर्गों को आश्रय, पौष्टिक भोजन, स्वास्थ्य जांच और फिजियोथेरेपी जैसी अनिवार्य सहायता सेवाओं से लाभान्वित किया जा चुका है। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के मुताबिक, वरिष्ठ नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने, रोजमर्रा की देखभाल उपलब्ध कराने और उन्हें स्वतंत्र जीवन जीने में सक्षम बनाने के लिए बहुआयामी कदम उठाए जा रहे हैं। नए स्वीकृत वरिष्ठ नागरिक गृहों से उन वृद्धजनों को सुरक्षित और सम्मानजनक आश्रय मिलेगा, जिन्हें पारिवारिक या सामाजिक

स्तर पर देखरेख की आवश्यकता है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के सचिव सुधांश पंत ने रविवार को बताया कि बुजुर्गों की गतिशीलता और आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए देशभर में 228 विशेष शिविर आयोजित किए गए। इन शिविरों के जरिए 4.91 लाख से अधिक लाभार्थियों को कवर किया गया और लगभग 23.93 लाख निःशुल्क सहायक जीवन उपकरण वितरित किए गए। पंत के अनुसार, गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) और अल्प आय वर्ग के पात्र वरिष्ठ नागरिकों को व्हीलचेयर, कान की मशीन (हियरिंग एड्स), छड़ी (वॉकिंग स्टिक) और चश्मा प्रदान किए गए हैं।

इन उपकरणों के मिलने से बुजुर्गों को रोजमर्रा की आवाजाही और संवाद में बड़ी राहत मिली है। उन्होंने कहा कि कल्याणकारी योजनाओं से जुड़ी जानकारी एक ही स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रपति द्वारा 'सीनियर सिटीजंस वेलफेयर पोर्टल' शुरू किया गया है।

बंगाल में 252 मदरसे बंद करने का आदेश

सरकार बोली...इनके पास बुनियादी सुविधाएं नहीं,पहले मदरसों का बजट 3600 करोड़ घटाया था

कोलकाता,13 सितम्बर 2026। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के 252 मदरसों को बंद करने का आदेश दिया है। करीब 100 अन्य मदरसों को कारण बताओ नोटिस भेजा गया है। सरकार का कहना है कि जांच में इन मदरसों के पास बुनियादी सुविधाएं नहीं मिली। यह कार्रवाई अल्पसंख्यक मामलों और मदरसा शिक्षा विभाग ने की है। सरकार ने रविवार को ये भी बताया कि मानक पूरे करने वाले मदरसे चलते रहेंगे। जिन संस्थाओं को नोटिस दिए गए हैं, उनके जवाब की जांच के बाद आगे की कार्रवाई होगी। इससे पहले 2026 के बजट में बंगाल सरकार ने अल्पसंख्यक कल्याण और मदरसा विभाग के लिए फंड 5,713 करोड़ से घटाकर 2,165.42 करोड़ कर दिया था। यानी बजट में लगभग 3600 करोड़ की कटौती हुई थी। अधिकारियों के अनुसार, सरकार ने जून की शुरुआत से पश्चिम बंगाल के सभी जिलों में जमीनी सर्वे किया। इस सर्वे में सरकारी और निजी मदरसों की बुनियादी सुविधाएं, मंजूरी की स्थिति और प्रबंधन व्यवस्था की जांच की गई।

बंगाल के सभी मदरसों में वंदे मातरम गाना अनिवार्य

पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के अल्पसंख्यक मामलों और मदरसा शिक्षा विभाग के तहत आने वाले सभी मदरसों में 'वंदे मातरम' गाना अनिवार्य कर दिया है। 19 मई को जारी आदेश के मुताबिक,यह नियम सरकारी मॉडल मदरसों, सरकारी सहायता प्राप्त और बिना सहायता प्राप्त मदरसों पर तुरंत लागू होगा। इससे पहले मदरसों में सुबह की प्रार्थना के दौरान राष्ट्रगान 'जन गण मन' और कवि गुलाम मुस्तफा की 'अनंत असीम प्रेममय तुमी' (बांग्ला गीत) गाया जाता था। अब सभी मदरसों को इस आदेश को लागू करने के बाद इसकी रिपोर्ट भी विभाग को सौंपनी होगी।

अधिकारियों ने बताया कि संबंधित मदरसों को कारण बताओ नोटिस दिया गया है। उनके जवाबों की जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने यह जांच अलग-अलग जिलों में अधिकृत और अनधिकृत मदरसों की जानकारी पता करने के लिए कराई थी।

मदरसों को लेकर दिलीप घोष?

मंत्री ने कहा, '252 मदरसों को बंद करने का आदेश दिया गया है, जबकि 100 अन्य को जरूरी मंजूरी और बुनियादी ढांचा नहीं होने के कारण कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।' राज्य के पंचायती राज मंत्री दिलीप घोष ने कहा कि मदरसों को लेकर कई बार विवाद सामने आए हैं। उन्होंने दावा किया कि कुछ मामलों में चरमपंथी गतिविधियों में कथित संलिप्तता के आरोप में गिरफ्तार किए गए लोग ऐसे संस्थानों में शिक्षक के रूप में काम करते पाए गए।

भारत-वियतनाम ने क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए समुद्री व रक्षा सहयोग की प्रतिबद्धता दोहराई

रक्षा सचिव ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर वियतनाम के राष्ट्रीय रक्षा उप-मंत्री से मुलाकात की

नई दिल्ली,13 सितम्बर 2026। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान भारत और वियतनाम के प्रधानमंत्रियों के बीच हुई हालिया उच्चस्तरीय द्विपक्षीय बैठक के बाद रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने रविवार को नई दिल्ली में वियतनाम के राष्ट्रीय रक्षा उपमंत्री वरिष्ठ लेफ्टिनेंट जनरल गुयेन टूओंग थांग के साथ बैठक की। इस दौरान दोनों देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को मजबूत करने, क्षेत्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देने तथा द्विपक्षीय 'विस्तृत व्यापक रणनीतिक साझेदारी' को और गहरा करने पर विशेष जोर दिया गया। बातचीत में संयुक्त गतिविधियों को गति देने, प्रौद्योगिकी के आदान-प्रदान और रक्षा उद्योग में सहयोग बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया। दोनों पक्षों ने समुद्री व रक्षा संबंधों को मजबूत करने की अपनी साझा प्रतिबद्धता दोहराई, ताकि क्षेत्र में शांतिपूर्ण, स्थिर और नियम-आधारित सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके। भारत और वियतनाम ने सुरक्षा से जुड़े जटिल मुद्दों से निपटने के लिए बहुपक्षीय मंचों पर आपसी समन्वय को महत्वपूर्ण बताया। दोनों पक्षों ने विशेष रूप से आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक-प्लस (एडीएमएम-प्लस) के तहत सक्रिय भागीदारी के महत्व पर जोर दिया। दोनों पक्षों ने आसियान के नेतृत्व वाले तंत्र के माध्यम से व्यावहारिक रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने की अपनी साझा प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने इस बात पर सहमति जताई कि 'आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक-प्लस' के विशेषज्ञ कार्य समूह जैसे सहयोगी मंच हिंद-प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने और सामूहिक सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ने का सबसे सशक्त माध्यम है शिक्षा : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय

रायपुर,13 सितम्बर 2026। शिक्षा व्यक्ति, समाज और राष्ट्र की प्रगति का आधार है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए शिक्षा आवश्यक है और इस पूरी प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। शिक्षक बच्चों को केवल किताबी ज्ञान नहीं देते, बल्कि उनके व्यक्तित्व को गढ़ते हैं, उन्हें संस्कार और सही दिशा देते हैं तथा उनके माध्यम से समाज एवं राष्ट्र के उज्ज्वल भविष्य की मजबूत नींव तैयार करते हैं। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज बेमेतरा के बेसिक स्कूल मैदान में आयोजित जिला स्तरीय शिक्षक सम्मान एवं प्रतिभावान विद्यार्थी सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए यह बात कही। मुख्यमंत्री साय ने समारोह में जिले के 81 सेवानिवृत्त शिक्षकों को शॉल, श्रीफल, स्मृति चिन्ह एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया।

इस अवसर पर बोर्ड एवं महाविद्यालयीन परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले जिले के 42 मेधावी छात्र-छात्राओं को भी विभिन्न सामाजिक संस्थाओं की ओर से गोल्ड मेडल एवं प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री ने सम्मानित शिक्षकों और विद्यार्थियों को बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हमारे देश में गुरु के सम्मान की गौरवशाली

परंपरा रही है। शिक्षक अपने ज्ञान, अनुभव और संस्कारों से पीढ़ियों का निर्माण करते हैं। एक शिक्षक द्वारा दी गई शिक्षा का प्रभाव केवल एक विद्यार्थी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उसके परिवार, समाज और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचता है। इसीलिए शिक्षक को राष्ट्र निर्माता कहा गया है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि शिक्षा ज्ञान का वह प्रकाश है, जो अज्ञानता के अंधकार को दूर करता है। शिक्षा व्यक्ति को अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक बनाने के साथ उसमें आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता विकसित करती है। शिक्षित और संस्कारित नागरिक ही सशक्त समाज तथा विकसित राष्ट्र का निर्माण करते हैं। उन्होंने कहा कि भारत प्राचीन काल से ज्ञान और शिक्षा की भूमि रहा है। तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्व प्रसिद्ध शिक्षा केंद्रों में दुनिया के विभिन्न हिस्सों से विद्यार्थी ज्ञान अर्जित करने आते थे। हमारी यह समृद्ध ज्ञान परंपरा आज भी हमें प्रेरणा देती है। बदलते समय और नई तकनीकों के दौर में शिक्षा के स्वरूप में भी तेजी से बदलाव आ रहा है। ऐसे में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण और आधुनिक शिक्षा उपलब्ध कराने के साथ उन्हें भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार करना जरूरी है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा के क्षेत्र में अधोसंरचना और आधुनिक सुविधाओं के विस्तार के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर विशेष ध्यान दे रही है। हमारा प्रयास है कि छत्तीसगढ़ का कोई भी बच्चा संसाधनों या अवसरों के अभाव में पीछे न रहे।

रायपुर में 7 ग्राम हेरोइन के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार

रायपुर,13 सितम्बर 2026। रायपुर में सिविल लाइन पुलिस ने 7 ग्राम हेरोइन के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसमें से एक आरोपी पहले भी ड्रग्स बेचने के आरोप में जेल जा चुका है। आरोपी धमतरी से ड्रग्स लेकर रायपुर पहुंचे थे। पुलिस के मुताबिक, तीनों आरोपी लंबे समय से हेरोइन के कारोबार से जुड़े थे। शहर में नशे की सप्लाई करते थे। आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि कुछ लोग हेरोइन लेकर इलाके में घूम रहे हैं। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने संदिग्धों की तलाश शुरू की। घेराबंदी कर तीनों आरोपियों को पकड़ा गया। तलाशी लेने पर उनके कब्जे से कुल 7 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। पूछताछ में पुलिस को आरोपियों के लंबे समय से हेरोइन के कारोबार से जुड़े होने की जानकारी मिली है। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि आरोपी हेरोइन कहां से लाते थे और शहर में किन लोगों को इसकी

सप्लाई करते थे। उनके संपर्क में रहे अन्य लोगों की भी जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस का फोकस अब नशे के इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों तक पहुंचने पर है। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के आधार पर सप्लायर और खरीदारों की जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस का कहना है कि नशे के कारोबार में शामिल लोगों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा।

संपादकीय

सहयोग का घोषणा-पत्र

ब्रिक्स के नई दिल्ली घोषणापत्र पर सहमति बनना इसलिए एक उपलब्धि और भारत का कूटनीतिक कद बढ़ाने वाली है, क्योंकि यह माना जा रहा था कि सदस्य देशों और विशेष रूप से ईरान और सऊदी अरब एवं यूएई में मतभेदों के कारण ऐसा होना कठिन है। इसके बाद भी भारत सभी देशों को साथ लाने में सफल रहा। इसके पहले भारत अपनी अध्यक्षता वाले जी-20 शिखर सम्मेलन में भी सभी देशों के बीच सहमति बनाने में सफल रहा था, जबकि यूक्रेन युद्ध के कारण अमेरिका और यूरोप के देश रूस के विरुद्ध तीखे तेवर अपनाए हुए थे।

यह सही है कि साझा घोषणापत्र में पश्चिम एशिया संकट को लेकर जो कुछ कहा गया, उसमें किसी देश का नाम नहीं लिया गया,लेकिन यह सामान्य बात नहीं कि अमेरिकी हमलों के जवाब में जो ईरान,सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात पर मिसाइलें दागता रहता है,वह भी साझा बयान जारी करने के लिए सहमत हुआ। इतना ही नहीं, ब्रिक्स सम्मेलन के चलते ईरान और यूएई के प्रतिनिधियों ने आपस में बात भी की।

कुल मिलाकर भारत ने यह दिखाया कि उसमें एक दूसरे के खिलाफ खड़े देशों के बीच भी सहमति बनाने का कूटनीतिक कौशल है। अपने इस कूटनीतिक कौशल के कारण ही भारत क्वाड का सदस्य है तो ब्रिक्स और एससीओ का भी। यह स्थिति भारत को विशिष्ट बनाती है और विश्व का ध्यान उसकी ओर खींचती है।ब्रिक्स सम्मेलन में बनी सहमति इसका परिचायक है कि भारत सदस्य देशों के बीच यह भाव जगाने में सफल रहा कि विफल होते संयुक्त राष्ट्र के कारण यदि इस संगठन को सशक्त बनाना है तो उन्हें मतभेदों को किनारे कर आपसी सहयोग पर जोर देते हुए एकजुट होना होगा।

अच्छा होगा कि इस संगठन के सदस्य और सहयोगी देश यह समझें कि आपसी सहमति केवल कागज तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए। नई दिल्ली घोषणापत्र पर केवल ईरान,सऊदी अरब और यूएई को ही ध्यान नहीं देना होगा,बल्कि चीन को भी ऐसा ही करना होगा, क्योंकि इसमें पहलगाम हमले का उल्लेख करते हुए आतंकवाद पर दोहरा मानदंड अपनाने की प्रवृत्ति को रेखांकित किया गया है। यह किसी से छिपा नहीं कि चीन इस प्रवृत्ति का प्रदर्शन करता रहा है।

घोषणापत्र की इन बातों पर चीन के साथ रूस को भी गौर करना होगा कि हर देश की संप्रभुता का सम्मान किया जाना चाहिए। यदि ब्रिक्स देश अपने घोषणापत्र के प्रति सच्ची प्रतिबद्धता नहीं दिखाते तो फिर अन्य देशों और संगठनों से यह अपेक्षा नहीं कर सकते कि वे अंतरराष्ट्रीय नियमों का पालन करें। वास्तव में ब्रिक्स को यह आत्मसात करने की सख्त जरूरत है कि घोषणापत्र पर सहमति बनाने से कहीं अधिक आवश्यक उसके अनुरूप कार्य करना है। इससे ही ब्रिक्स अपने उद्देश्यों में सफल होगा और पश्चिमी देशों के प्रभुत्व वाली विश्व व्यवस्था का विकल्प बन सकेगा।

POCSO के बढ़ते मामलों को रोकने की पहली जरूरत

अपराध के बाद नहीं,अपराध से पहले जागरूकता :अधिवक्ता देव प्रसाद जोशी

बच्चों की सुरक्षा के लिए परिवार,स्कूल, पुलिस,प्रशासन और समाज को मिलकर बनानी होगी मजबूत व्यवस्था

देवप्रसाद जोशी
बिलासपुर,छत्तीसगढ़

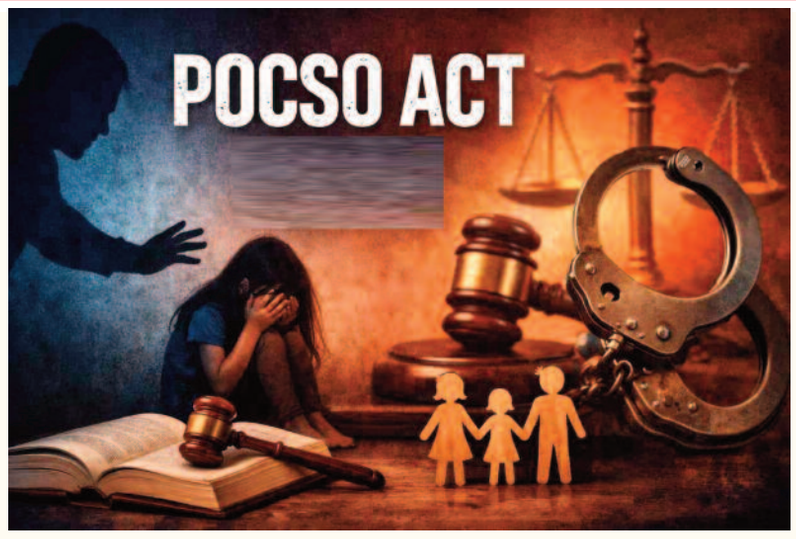

प्रतीकात्मक: दैनिक घटती-घटना

बच्चों के विरुद्ध यौन अपराध समाज के सामने सबसे गंभीर चुनौतियों में से एक हैं। ऐसे अपराध बच्चे के शरीर को ही नहीं,बल्कि उसके मन,आत्मविश्वास और भविष्य को भी प्रभावित करते हैं। बच्चों को यौन अपराधों से सुरक्षा देने के उद्देश्य से POCSO Act,2012 बनाया गया है। कानून ने बच्चों के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण व्यवस्था दी है,लेकिन केवल कठोर कानून और सजा के भय से ऐसे अपराधों को पूरी तरह समाप्त नहीं किया जा सकता। इसके लिए अपराध की रोकथाम पर भी समान रूप से ध्यान देना होगा।

बच्चा चुप नहीं, जागरूक होना चाहिए

अपराध की रोकथाम की शुरुआत घर से होनी चाहिए। बच्चों को उनकी उम्र और समझ के अनुसार सुरक्षित एवं असुरक्षित व्यवहार की जानकारी दी जानी चाहिए। उन्हें यह विश्वास होना चाहिए कि यदि कोई व्यक्ति उनके साथ अनुचित व्यवहार करता है तो वे बिना डर के माता-पिता, शिक्षक या किसी विश्वसनीय व्यक्ति को इसकी जानकारी दे सकते हैं।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बच्चे की शिकायत पर उसे डांटने या दोष देने के बजाय उसकी बात शांतिपूर्वक सुनी जाए और आवश्यकता होने पर समय पर उचित सहायता उपलब्ध कराई जाए।

'अजनबी से सावधान' से आगे बढ़ना होगा

बाल यौन अपराधों के संबंध में यह धारणा आम है कि खतरा केवल किसी अजनबी व्यक्ति से होता है। वास्तविक परिस्थितियों में बच्चा आरोपी को जानता-पहचानता भी हो सकता है। इसलिए बच्चों को केवल अजनबियों से सावधान रहने की सलाह पर्याप्त नहीं है। उन्हें अपने शरीर, निजी सीमाओं और असहज परिस्थितियों के बारे में उम्र के अनुरूप जानकारी देना आवश्यक है।

स्कूल बनें सुरक्षित स्थान

बच्चे अपना महत्वपूर्ण समय विद्यालय में बिताते हैं। इसलिए प्रत्येक विद्यालय में प्रभावी Child Protection Policy, कर्मचारियों का उचित सत्यापन, सुरक्षित परिसर,शिकायत की व्यवस्था तथा बच्चों के लिए नियमित जागरूकता कार्यक्रम होने चाहिए।किसी बच्चे द्वारा गंभीर शिकायत किए जाने पर मामले को दबाने या केवल सामाजिक प्रतिष्ठा के कारण चुप रहने के बजाय कानून के अनुरूप उचित कदम उठाना आवश्यक है।

मोबाइल और इंटरनेट भी नई चुनौती

डिजिटल युग में बच्चों की सुरक्षा का एक बड़ा हिस्सा ऑनलाइन दुनिया से जुड़ गया है। सोशल मीडिया,ऑनलाइन गेमिंग और चैटिंग के माध्यम से बच्चों को बहलाने,धमकाने या अनुचित सामग्री साझा करने के खतरे मौजूद हैं।

अभिभावकों को बच्चों को साइबर सुरक्षा के बारे में समझाना चाहिए। बच्चों को अनजान व्यक्तियों के साथ निजी जानकारी,फोटो या वीडियो साझा करने के जोखिमों की जानकारी दी जानी चाहिए। किसी संदिग्ध ऑनलाइन गतिविधि की स्थिति में उपलब्ध डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखना और समय पर उचित प्राधिकरण को सूचना देना महत्वपूर्ण हो सकता है।

कठोर कानून के साथ निष्पक्ष जांच भी जरूरी

POCSO कानून बच्चों की सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण कानून है और इसका प्रभावी क्रियान्वयन आवश्यक है। लेकिन प्रत्येक आपराधिक मामले में निष्पक्ष जांच और न्यायिक प्रक्रिया भी उतनी ही महत्वपूर्ण है।

किसी व्यक्ति पर आरोप लगना और न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध होना अलग-अलग बातें हैं। इसलिए जांच एजेंसियों को मौखिक,चिकित्सकीय,दस्तावेजी और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों का निष्पक्ष एवं वैज्ञानिक परीक्षण करना चाहिए। वास्तविक पीड़ित बच्चे को न्याय मिलना चाहिए और निर्दोष व्यक्ति को केवल आरोप के आधार पर दोषी नहीं माना जाना चाहिए।

समाज की चुप्पी अपराध को बढ़ावा दे सकती है

सामाजिक बदनामी के डर से बाल यौन अपराधों को छिपाना समस्या को और गंभीर बना सकता है। यदि किसी बच्चे के साथ अपराध हुआ है तो परिवार को समय पर कानूनी,चिकित्सकीय और मनोवैज्ञानिक सहायता लेनी चाहिए।

साथ ही मीडिया और सोशल मीडिया को भी अत्यंत संवेदनशीलता बरतनी चाहिए। बच्चे की पहचान और निजता की रक्षा करना आवश्यक है। किसी लंबित मामले में बिना न्यायिक निष्कर्ष के किसी व्यक्ति को सार्वजनिक रूप से दोषी घोषित करना भी उचित नहीं है।

रोकथाम के लिए सामूहिक अभियान की आवश्यकता

POCSO मामलों की रोकथाम के लिए जिला स्तर पर पुलिस, विद्यालयों, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बाल संरक्षण इकाइयों, चिकित्सकों और सामाजिक संगठनों के सहयोग से नियमित Child Safety Awareness Campaign चलाए जाने चाहिए।

हमें केवल यह प्रश्न नहीं पूछना चाहिए कि अपराध होने के बाद दोषी को कितनी सजा मिलेगी; हमें यह भी पूछना होगा कि अपराध होने से पहले बच्चे को कैसे सुरक्षित रखा जाए।

बच्चों को जागरूक करना, परिवार में संवाद बढ़ाना,विद्यालयों को सुरक्षित बनाना,इंटरनेट के सुरक्षित उपयोग की शिक्षा देना और शिकायत मिलने पर कानून के अनुरूप तत्काल एवं निष्पक्ष कार्रवाई करना—ये सभी कदम मिलकर बाल यौन अपराधों की रोकथाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

सुरक्षित बचपन ही सुरक्षित समाज की पहचान है। POCSO कानून न्याय का महत्वपूर्ण माध्यम है, लेकिन जागरूक और जिम्मेदार समाज अपराध की रोकथाम की सबसे मजबूत दीवार है।

नौकरानी माँ नहीं बन सकती...

प्रोफेसर शामलाल कौशल
रोहतक,हरियाणा

हमारे देश में हर साल 14 सितंबर को हिंदी भाषा केप्रचार, प्रसार तथा अपनाए जाने के लिए हिंदी दिवस मनाए जाने की परंपरा है। यहां यह बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि प्रचार उस चीज का किया जाता है जिसे लोगों ने अभी तक उस सीमा तक स्वीकार नहीं किया जितना कि करना चाहिए। हिंदी दिवस वाले दिन सरकारी तथा गैर सरकारी स्तर पर गोष्ठियाँ आयोजित की जाती हैं, सेमिनार आयोजित किए जाते हैं,भाषण दिए जाते हैं, समाचार पत्रों तथा टीवी मीडिया की सहायता से प्रचार किया जाता है। कुछ लोगों को हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए सम्मानित भी किया जाता है। बात आई गई हो जाती है। पूछा जा सकता है केवल प्रचार या आयोजन मात्र से हिंदी भाषा की लोकप्रियता बढ़ जाएगी? इसका उत्तर हम सब जानते ही हैं! अंग्रेजी शासन की नींव पक्की होने से पहले देश में सरकार द्वारा तथा कोर्ट कचहरियों का काम फारसी तथा हिंदी तथा कुछ हद तक उर्दू में होता था जिसमें अंग्रेजों को काफी दिक्कत होती थी। हुकूमत चलाने के लिए उन्हें भारत से ही सस्ते क्लर्कों तथा कर्मचारियों की जरूरत थी

इसलिए इस जरूरत को पूरा करने के लिए 1835 में लार्ड मैकाले ने पहली बार अंग्रेजी भाषा को देश में लागू करने का काम शुरू किया। अंग्रेजी भाषा को अपनाना ना केवल भारतीय लोग अपनी शान ऐ शौकत की बात समझते थे बल्कि अपने आप को उन लोगों से भी बेहतर समझने लगे जिन्हें अंग्रेजी का ज्ञान नहीं होता था। हमारे देश के लोगों ने न केवल अंग्रेजी भाषा को अपनाना बल्कि भारतीय संस्कृति सभ्यता तथा परंपरा को तिलांजलि देकर पश्चिमी सभ्यता को गले लगाने का काम शुरू कर दिया। स्थिति यह है कि अंग्रेजों को भारत छोड़े 75 साल हो गए हैं हमारे दिमाग में अभी तक अंग्रेजी का भूत उतरने के बदले में और भी ज्यादा हावी हो गया है। हम अंग्रेजी को ही विकास, कल्याण,संस्कृति,ज्ञान तथा संपर्क का माध्यम मानने की भूल कर बैठे हैं। हम अपने बच्चों को पैदा होते ही मम्मी, पापा आदि अंग्रेजी शब्दों का ज्ञान देना शुरू कर देते हैं। उन्हें किसी हिंदी या संस्कृत मीडियम स्कूल में कम फीस देकर दाखिल कराने के बदले में अंग्रेजी मीडियम वाले तथा बहुत महंगे पब्लिक स्कूल में दाखिल कराना ज्यादा बेहतर समझते हैं। इन स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को आरती, भजन, देसी महीनों के नाम तथा त्योहारों के नाम, भारतीय ऋषियों,मुनियों,देशभक्तों के नाम भी पता नहीं होते। उन्हें केवल और केवल पैसा कमाने वाली भौतिकतावाद की स्वार्थ सिद्धि की शिक्षा दी जाती है। ऐसी अंग्रेजी भाषा की नींव पर बड़े हुए बच्चे क्या तो माता-पिता की सेवा करेंगे और देश के कैसे जिम्मेवार नागरिक बनेंगे,इस बात का अनुमान आसानी से लगाया जा सकता है।

रूस,चीन जापान,फ्रांस,जर्मनी जैसे देशों ने दुनिया को दिखा दिया है कि अंग्रेजी के बिना अपनी-अपनी मातृभाषा के बलबूते पर वह उन्नत तकनीक का प्रयोग तथा विकास करके देश का चहुमुखी विकास कर सकते हैं। हमारे देश में भी जो विदेशी राजनेता या मंत्री आते हैं वह अपने-अपने देश की ही मातृभाषा का प्रयोग करके अपने विचार प्रकट करते हैं!वो जब मीडिया को संबोधित करते हैं तब भी अपनी मातृभाषा का ही प्रयोग करते हैं। जबकि हमारे देश के राजनेता मंत्रीगण अंग्रेजी में ही अपने विचारों को व्यक्त करने को अपनी शान तथा गौरव समझते हैं। अभी तक हमारे देश के श्री अटल बिहारी वाजपेई तथा वर्तमान प्रधानमंत्री,श्री नरेंद्र मोदी ही ऐसे अपवाद हैं जो विदेशों में भी हिंदी भाषा में भाषण करते हैं। श्री अटल बिहारी वाजपेई पहले व्यक्ति थे जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण दिया था। कमाल की बात तो यह है कि गैर हिंदी भाषाई नेता तो अंग्रेजी में भाषण करें हमारे देश के कई प्रधानमंत्री भी विदेश में अंग्रेजी भाषा में अपने विचार व्यक्त करते रहे हैं।

हमारे देश के प्रसिद्ध प्रसिद्ध धार्मिक, सामाजिक तथा साहित्यिक ग्रंथ संस्कृत या हिंदी में लिखे गए हैं। सारे देश को स्वतंत्रता संग्राम के एक सूत्र में बांधने के लिए हिंदी का प्रयोग किया गया। देशभक्ति की भावना से ओत प्रोत,मेरा रंग दे बसंती चोला,शहीदे आजम भगत सिंह का गीत हिंदी में है। आजाद हिंद फौज के संस्थापक,सुभाष चंद्र बोस ने,तुम मुझे खून दो,मैं तुम्हें आजादी दूंगा,हिंदी में ही कहा। देशभक्ति से परिपूर्ण नारे जैसे,भारत छोड़ो,साइमन कमीशन वापस जाओ,वंदे मातरम,जय हिंद,इंकलाब जिंदाबाद आदि हिंदी में ही गूंजे।

असल में हिंदी हमारी मातृभाषा ही नहीं बल्कि मां है तथा अंग्रेजी हमारी आया या नौकरानी है।आया बच्चों की देखभाल करने में मदद तो कर सकती हैलेकिन समर्पित भावना तथा ईमानदारी से परवरिश करने का काम तो मां ही कर सकती है। हम आया को ही मां समझने की गलती कर बैठे हैं। इस अंग्रेजी भाषा तथा अंग्रेजी संस्कृति ने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया है। इसी की बदौलत हम ऐसी बातें सीख रहे हैं जो तुरंत देखने में तो हमें अच्छी लगती हैं लेकिन है वह सत्यानाश की जड़। भारत में तलाक, हत्या,बलात्कार,स्वार्थ,एकल परिवार, यौन शोषण,समलैंगिकता,लिव इन रिलेशनशिप आदि इसी विदेशी संस्कृति का ही तो दुष्परिणाम है। हमारी यह भूल है कि अंग्रेजी के द्वारा ही हम तरक्की कर सकते हैं। हमें यह समझ लेना चाहिए कि हिंदी अगर शुद्ध देसी घी है तो अंग्रेजी मिलावट वाला डालडा घी है। अंग्रेजी का भूत हम भारतीयों से जितनी जल्दी उतर जाए उतना ही अच्छा है। परंतु यह विडंबना नहीं तो और क्या है कि विदेशी लोग तो हिंदी को अपना रहे हैं लेकिन हम अंग्रेजी के पीछे पड़े हुए हैं। दुनिया के 95 विश्वविद्यालय में हिंदी का पठन-पाठन होता है! बेल्जियम के एक हिंदी विद्वान, कामिल ने भारत की नागरिकता हिंदी प्रेम के कारण स्वीकार करते हुए कहा था

संस्कृत मां,हिंदी गृहिणी तथा अंग्रेजी नौकरानी है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के अनुसार,हिंदी ही राष्ट्रभाषा बनाए जाने की अधिकारी है। मराठी भाषी,संविधान निर्माता डॉ भीमराव अंबेडकर भी हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाए जाने के पक्ष में थे। यहां यह जानना जरूरी है कि 14 सितंबर, 1949 से हिंदी को राष्ट्रभाषा स्वीकार करते हुए हिंदी दिवस सरकारी तथा गैर सरकारी स्तर पर मनाया जाता है। हमारे देश के सिनेमा,टीवी, समाचार पत्र हिंदी भाषा के प्रचार तथा प्रसार में अहम भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन हिंदी के शब्दों का अगर शुद्ध उच्चारण तथा प्रयोग भी सिखाया जाए तो ठीक है। मेरा मानना है कि किसी भी चुनाव को लड़ने की अन्य शर्तों के साथ-साथ हिंदी का बोलना,लिखना तथा पढ़ना भी अनिवार्य कर देना चाहिए। हमारे देश में त्रिभाषा फॉर्मूला के मुताबिक,हिंदी का ज्ञान जरूरी है,को लागू किया जाए। कार्यालयों,न्यायालयों तथा संसद/विधानसभाओं मैं सारा काम हिंदी में हो। विदेशी दौरों तथा विदेशी मेहमानों के साथ बातचीत हिंदी में हो। हम घर में हिंदी का प्रयोग करें। इसकी शुरुआत तो यही हो सकती है कि हम अपने हस्ताक्षर आज से ही हिंदी में करें। विभिन्न परीक्षाओं का माध्यम हिंदी हो। अगर हम यह सब कुछ करें तो हमें हर साल हिंदी दिवस मनाने की औपचारिकता निभाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। केंद्र तथा राज्यों की हिंदी साहित्य अकादमियां भी इस संदर्भ में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती हैं

हिंदी हमारी आन है
हिंदी हमारी शान है
अंग्रेजी तो मेहमान है
हिंदी हिंदुस्तान है।

भगवान गणेश : मंगल,समृद्धि और विकसित भारत के प्रेरणास्रोत

गणेशजी के व्यक्तित्व में छिपे प्रबंधन,नेतृत्व,ज्ञान, अनुशासन और समावेशी विकास के सूत्रों को आत्मसात कर भारत 2047 के संकल्प को नई दिशा दी जा सकती है...

ललित गर्ग
पटपड़गंज नई दिल्ली

भगवान श्री गणेश भारतीय संस्कृति के ऐसे बहुआयामी एवं सर्वस्वीकार्य देवता हैं,जिनका स्मरण किसी भी शुभ कार्य के प्रारंभ में किया जाता है। वे केवल विघ्नहर्ता और मंगलकर्ता के रूप में पूजित नहीं हैं, बल्कि उनका संपूर्ण व्यक्तित्व ज्ञान, विवेक, दूरदर्शिता,नेतृत्व,धैर्य,आत्म संयम,संवाद,समावेशिता और कर्म शीलता का अद्भुत संदेश देता है। आज जब भारत विकसित भारत 2047 के संकल्प के साथ आर्थिक शक्ति,तकनीकीक्षमता,सामाजिक समरसता और वैश्विक नेतृत्व की दिशा में आगे बढ़ रहा है,तब गणेशजी के प्रतीकात्मक व्यक्तित्व को केवल पूजा तक सीमित रखने के बजाय उनके जीवन-संदेश को राष्ट्रीय चरित्र और विकास-दृष्टि का आधार बनाना समय की बड़ी आवश्यकता है। गणेश चतुर्थी केवल उत्सव नहीं,बल्कि आत्मचिंतन और राष्ट्रनिर्माण की प्रेरणा का पर्व बन सकती है।

गणेशजी का सबसे बड़ा संदेश है—शुभारंभ करो,लेकिन विवेक के साथ। किसी भी कार्य के पहले गणेशजी का स्मरण इस बात का प्रतीक है कि सफलता केवल गति से नहीं,सही दिशा से मिलती है। विकसित भारत का निर्माण भी केवल बड़े आर्थिक आंकड़ों,आधुनिक शहरों,नई तकनीक और विशाल परियोजनाओं से नहीं होगा। इसके लिए ऐसी विकास-दृष्टि चाहिए जिसमें आर्थिक प्रगति के साथ मानवीय संवेदना,नैतिकता,पर्यावरण-संतुलन,शिक्षा,स्वास्थ्य, रोजगार और सामाजिक न्याय का समन्वय हो। गणेशजी का स्मरण हमें बताता है कि विकास का पहला कदम बाहर नहीं, भीतर उठता है—विचारों की शुद्धता और संकल्प की दृढ़ता से।

गणेशजी का गजमुख उनकी सबसे विशिष्ट पहचान है। हाथी भारतीय मानस में बुद्धि,स्मृति, धैर्य और शक्ति का प्रतीक रहा है। बड़ा मस्तक हमें बड़ा सोचने की प्रेरणा देता है। आज भारत को भी सीमित सोच से बाहर निकलकर वैश्विक चुनौतियों के अनुरूप दीर्घकालीन और व्यापक दृष्टि विकसित करनी होगी। कृत्रिम बुद्धिमत्ता,अंतरिक्ष विज्ञान,डिजिटल अर्थव्यवस्था,हरित ऊर्जा,जैव-प्रौद्योगिकी और नई औद्योगिक क्रांति के युग में वही राष्ट्र आगे बढ़ेगा जो ज्ञान को अपनी सबसे बड़ी शक्ति बनाएगा। गणेशजी का मस्तक मानो संदेश देता है—ज्ञान जितना व्यापक होगा,विकास उतना ही दूरगामी होगा।

उनके बड़े कान लोकतांत्रिक नेतृत्व की अनूठी सीख देते हैं। अच्छा नेतृत्व वह नहीं जो केवल बोलता है, बल्कि वह है जो सुनता है। जनता की आकांक्षाओं,युवाओं के सपनों, किसानों की समस्याओं,श्रमिकों की चुनौतियों,महिलाओं की अपेक्षाओं और वंचित वर्गों की आवाज को सुनना ही संवेदनशील शासन की पहचान है। भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बने,इसके लिए विकास का मॉडल जनभागीदारी पर आधारित होना चाहिए। गणेशजी के बड़े कान हमें सिखाते हैं कि जनता की आवाज सुनना ही सुशासन की पहली शर्त है। उनकी छोटी आंखें एकाग्रता और सूक्ष्म दृष्टि का प्रतीक मानी जाती हैं। आज सूचना और विकल्पों की अधिकता के दौर में ध्यान भटकना आसान है। राष्ट्र के सामने भी अनेक चुनौतियां हैं। इसलिए लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए और ऊर्जा अनावश्यक विवादों में नहीं,राष्ट्र के निर्माण में लगनी चाहिए। विकसित भारत का लक्ष्य तभी सार्थक होगा जब व्यक्ति से लेकर शासन तक प्राथमिकताओं की स्पष्टता,कार्य में एकाग्रता और परिणाम के प्रति प्रतिबद्धता हो।

गणेशजी की सूंड अत्यंत संवेदनशील होने के साथ शक्तिशाली भी है। वह सूक्ष्म वस्तु को भी संभाल सकती है और भारी कार्य भी कर सकती है। यह क्षमता हमें परिस्थितियों के अनुरूप स्वयं को ढालने की प्रेरणा देती है। आज के भारत को भी यही लचीलापन चाहिए। तकनीक बदल रही है, रोजगार के स्वरूप बदल रहे हैं, वैश्विक अर्थव्यवस्था बदल रही है और पर्यावरणीय चुनौतियां बढ़ रही हैं। जो समाज परिवर्तन को समझकर अपनी क्षमता विकसित करेगा,वही भविष्य का नेतृत्व करेगा।

गणेशजी का लंबोदर भी गहरा जीवन-संदेश देता है। इसे विशाल हृदय,सहनशीलता और जीवन की विविधताओं को आत्मसात करने की क्षमता का प्रतीक माना जा सकता है। राष्ट्रनिर्माण में मतभेद स्वाभाविक हैं, लेकिन मनभेद विनाशकारी हो सकते हैं। भारत की शक्ति उसकी विविधता में है। भाषा,संस्कृति,परंपरा,विचार और जीवन-पद्धति की विविधता को संघर्ष का कारण नहीं,राष्ट्रीय शक्ति का आधार बनाना होगा। गणेशजी का व्यक्तित्व हमें समावेशी भारत की प्रेरणा देता है—ऐसा भारत जिसमें विकास का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और कोई स्वयं को राष्ट्र की मुख्यधारा से अलग महसूस न करे। गणेशजी का वाहन मूषक भी अत्यंत अर्थपूर्ण प्रतीक है।

व्यथा इंसान की...

केशी गुप्ता
द्वारका दिल्ली

व्यथा इंसान की है कुछ ऐसी
सब कुछ नज़र नहीं आता है
बाहर जीत भी ले दुनिया
पर अपनों से हार जाता है
कोई नहीं जानता दर्द उसके
रोज कितने जख्म सह जाता है
कह नहीं पाता किसी से
रुस्वाई का खौफ़ सताता है
घर की चार दीवारी में
कई जंग लड़ता जाता है
रिश्तों की उमीदों में
खरा उतर नहीं पाता है
लिए चुभन अल्फाजों की
पल पल घुटता जाता है
समय आखिरी पलों के
पछतावे में बिताता है
जी लेता अपने लिए भी
अब यही ख्याल दोहराता है
व्यथा इंसान की है कुछ ऐसी
सब कुछ नज़र नहीं आता है
बाहर जीत भी ले दुनिया
अपनो से हार जाता है

सूचना

समाचार पत्र में छपे समाचार एवं लेखों पर सम्पादक की सहमति आवश्यक नहीं है। हमारा ध्येय तथ्यों के आधार पर सटिक खबरें प्रकाशित करना है न कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। सभी विवादों का निपटारा अम्बिकापुर न्यायालय के अधीन होगा।

सम्पादक

हमारे स्वाभिमान और गर्व की भाषा है हिन्दी

रमेश सर्राफ
झुंझुनू,राजस्थान

हिन्दी हमारे स्वाभिमान और गर्व की भाषा है। हिन्दी ने हमें विश्व में एक नई पहचान दिलाई है। भारत में हर वर्ष 14 सितंबर को हिन्दी दिवस मनाया जाता है। हिन्दी विश्व में बोली जाने वाली प्रमुख भाषाओं में से एक है। विश्व की प्राचीन, समृद्ध और सरल भाषा होने के साथ-साथ हिन्दी हमारी राष्ट्रभाषा भी है। वह दुनियाभर में हमें सम्मान भी दिलाती है। यह भाषा है हमारे सम्मान,स्वाभिमान और गर्व की। हम आपको बता दें कि हिन्दी भाषा विश्व में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली तीसरी भाषा है।

हिन्दी भारत सरकार की आधिकारिक भाषा है और हिंदी बोलने वालों की संख्या भारत में सर्वाधिक है। इसका इतिहास प्राचीन संस्कृत और प्राकृत भाषाओं से जुड़ा है। हिन्दी भाषा का जन्म भारत में ही हुआ था । एक भाषा के रूप में हिंदी न सिर्फ भारत की पहचान है। बल्कि यह हमारे जीवन मूल्यों,संस्कृति एवं संस्कारों की सच्ची परिचायक भी है। बहुत सरल,सहज और सुगम भाषा होने के साथ हिंदी विश्व की संभवतः सबसे वैज्ञानिक भाषा है। जिसे दुनिया भर में समझने,बोलने और चाहने वाले लोग बहुत बड़ी संख्या में मौजूद हैं। भारतेन्दु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी का जनक कहा जाता है। जिन्होंने हिंदी, पंजाबी,बंगाली और मारवाड़ी सहित कई भाषाओं में अपना योगदान दिया था।

हिन्दी एक भारतीय इंडो-यूरोपीय भाषा है जो संस्कृत से विकसित हुई और देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। देवनागरी लिपि में ही संस्कृत, मराठी, नेपाली और कई अन्य भारतीय भाषाएँ भी लिखी जाती है। देवनागरी का अर्थ है देवताओं की लिपि या शहर की लिपि। यह संस्कृत के दो शब्दों देव (ईश्वर/ देवता) और नागरी (नगर/शहर से लिया गया विशेषण) से मिलकर बना है। देवनागरी एक ब्राह्मी-आधारित वर्ण माला है जिसका उपयोग भारत की कई भाषाएँ जैसे हिंदी,मराठी और संस्कृत को लिखने के लिए किया जाता है। इसीलिए हिंदी भाषा को संस्कृत भाषा की प्रत्यक्ष वंशज कहा जाता है।

हिंदी भाषा एक दूसरे के साथ बातचीत करने के लिए बहुत आसान और सरल माध्यम प्रदान करती है। यह प्रेम,मिलन और सौहार्द की भाषा है। हिन्दी विविध भारत को एकता के सूत्र में पिरोने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लेकिन यह कैसी विडम्बना है कि जिस भाषा को कश्मीर से कन्याकुमारी तक सारे भारत में समझा जाता हो। उस भाषा के प्रति आज भी इतनी उपेक्षा व अवज्ञा क्यों ? प्रत्येक वर्ग का व्यक्ति हिन्दी भाषा को आसानी से बोल-समझ लेता है। इसलिए इसे सामान्य जनता की भाषा अर्थात जनभाषा कहा गया है।

भारत की स्वतंत्रता के बाद 14 सितम्बर 1949 को संविधान सभा ने एक मत से यह निर्णय लिया कि हिन्दी की खड़ी बोली ही भारत की राजभाषा होगी। इस महत्वपूर्ण निर्णय के बाद 1953 से सम्पूर्ण भारत में 14 सितम्बर को प्रतिवर्ष हिन्दी-दिवस के रूप में मनाया जाते लगा है जो हिंदी भाषा के महत्व को दर्शाता है। यदि हम हिंदी भाषा के विकास की बात करें तो यह कहना गलत नहीं होगा कि पिछले सौ सालों में हिंदी का बहुत विकास हुआ है। हिंदी भाषा का इतिहास लगभग एक हजार वर्ष पुराना माना गया है। भारत में धर्म, परंपराओं और भाषा में विविधता के बावजूद यहां के लोग एकता में विश्वास रखते हैं। भारत में विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं। लेकिन सबसे ज्यादा हिंदी भाषा बोली, लिखी व पढ़ी जाती है। इसीलिए हिंदी भारत की सबसे प्रमुख भाषा है। हिन्दी के ज्यादातर शब्द संस्कृत,अरबी और फारसी भाषा से लिए गए हैं। यह मुख्य रूप से आर्यों और पारसियों की देन है। इस कारण हिन्दी अपने आप में एक समर्थ भाषा है। जहां अंग्रेजी में मात्र 10 हजार मूल शब्द हैं। वहीं हिन्दी के मूल शब्दों की संख्या 2 लाख 50 हजार से भी अधिक है। हिन्दी विश्व की एक प्राचीन,समृद्ध तथा महान भाषा होने के साथ हमारी राजभाषा भी है।

आदिकाल से अब तक हिन्दी के आचार्यों,सन्तों,कवियों,विद्वानों,लेखकों एवं हिन्दी-प्रेमियों ने अपने ग्रन्थों, रचनाओं से हिन्दी को समृध्द किया है। परन्तु हमारा भी कर्तव्य है कि हम अपने विचारों,भावों एवं मतों को विविध विधाओं के माध्यम से हिन्दी में अभिव्यक्त करें एवं इसकी समृध्दि में अपना योगदान दें। कोई भी भाषा तब और भी समृध्द मानी जाती है जब उसका साहित्य भी समृध्द हो। बीसवीं सदी के अंतिम दो दशकों में हिन्दी का अन्तरराष्ट्रीय विकास बहुत तेजी से हुआ है। विश्व के लगभग 150 विश्वविद्यालयों तथा सैंकड़ों छोटे-बड़े केन्द्रों में विश्वविद्यालय स्तर से लेकर शोध के स्तर तक हिन्दी के अध्ययन-अध्यापन की व्यवस्था हुई है। विदेशों से हिन्दी में दर्जनों पत्र-पत्रिकाएं नियमित रूप से प्रकाशित हो रही हैं। हिन्दी भाषा और इसमें निहित भारत की सांस्कृतिक धरोहर सुदृढ और समृद्ध है। इसके विकास की गति बहुत तेज है।

CMYK

गाजे-बाजे के साथ पंडालों में विराजे गणपति,आज शुभ मुहूर्त में होगी पूजा

10 दिन तक चलेगा गणेशोत्सव,शहर में एक हजार से अधिक पंडाल तैयार,अनंत चतुर्दशी पर होगा विसर्जन

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,13 सितम्बर 2026
(घटती-घटना)।

विघ्नहर्ता भगवान गणेश रविवार को शहर के पंडालों और घरों में विराजमान हो गए। सुबह से ही गणेश प्रतिमाओं को गाजे-बाजे और जयकारों के साथ पंडालों व घरों तक ले जाने का सिलसिला शुरू हो गया था, जो देर रात तक चलता रहा। श्रद्धालुओं ने विधि-विधान और आस्था के साथ भगवान गणेश की प्रतिमाओं की स्थापना की। सोमवार को गणेश चतुर्थी के अवसर पर शुभ मुहूर्त में मंत्रोच्चारण के साथ भगवान गणेश की पूजा-अर्चना की जाएगी। शहर में गणेशोत्सव को लेकर खासा उत्साह है। विभिन्न समितियों द्वारा आकर्षक पंडाल तैयार किए गए हैं। शहर में करीब एक हजार से अधिक पंडाल बनाए गए हैं। वहीं बड़ी संख्या में लोगों ने अपने घरों में भी गणपति की स्थापना की है। अगले दस दिनों तक शहर में गणेशोत्सव की धूम रहेगी। पंडालों में प्रतिदिन पूजा-अर्चना के साथ विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन भी किए जाएंगे। दस दिन तक आराधना के बाद अनंत चतुर्दशी के अवसर पर गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाएगा।

सुबह से देर रात तक चला प्रतिमा स्थापना का सिलसिला : रविवार की सुबह से ही शहर की सडक़ों पर गणेश प्रतिमाएं ले जाते श्रद्धालु नजर आए। युवा और बच्चे गाजे-बाजे के साथ नाचते-गाते हुए गणपति

बप्पा के जयकारे लगाते हुए प्रतिमाओं को पंडालों तक लेकर पहुंचे। कई स्थानों पर समितियों ने ढोल-नगाड़ों और डीजे के साथ गणपति का स्वागत किया। श्रद्धालुओं ने आस्था के साथ प्रतिमाओं को पंडालों में विराजमान किया।

देर रात तक अलग-अलग इलाकों से प्रतिमा स्थापना का सिलसिला जारी रहा। घर-घर में भी गणपति स्थापना को लेकर उत्साह नजर आया। परिवारों ने शुभ मुहूर्त में भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित करने के लिए पूजन सामग्री और सजावटी सामान की खरीदारी की। बच्चों में भी गणेशोत्सव को लेकर खासा उत्साह है।

ये है गणपति स्थापना का शुभ मुहूर्त

- गणेश चतुर्थी : 14 सितंबर 2026,सोमवार
- चतुर्थी तिथि प्रारंभ : सुबह 7.06 बजे
- गणपति स्थापना व पूजा का मुख्य मुहूर्त : सुबह 10.39 बजे से दोपहर 1.07 बजे तक
- अवधि : करीब 2 घंटे 28 मिनट

इसी शुभ मुहूर्त में श्रद्धालु मंत्रोच्चारण के साथ भगवान गणेश की पूजा-अर्चना करेंगे। घरों और पंडालों में विशेष पूजन के साथ सुख-समृद्धि और परिवार की खुशहाली की कामना की जाएगी।

बाजार में भी बढ़ेगी रौनक

गणेशोत्सव को लेकर शहर के बाजारों में भी रौनक बढऩे की उम्मीद है। गणेश प्रतिमाओं के अलावा पंडाल निर्माण सामग्री,सजावटी सामान,लाइटिंग,फूल-माला,पूजन सामग्री और प्रसाद की मांग बढ़ गई है। शहर के प्रमुख बाजारों में दुकानदारों ने गणेशोत्सव से संबंधित सामग्री की बिक्री के लिए दुकानें सजा ली हैं। आगामी दिनों में पूजा सामग्री और सजावटी सामान की बिक्री बढऩे की उम्मीद कारोबारियों को है।

तीज पर सजा बाजार,सुहागिनों ने की जमकर खरीदारी

सोमवार को महिलाएं रखेंगी निर्जला व्रत,मेहंदी और श्रृंगार सामग्री की बढ़ी मांग

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,13 सितम्बर 2026
(घटती-घटना)।

हरितालिका तीज का पर्व सोमवार को श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाएगा। सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र और सुखी दांपत्य जीवन की कामना के लिए निर्जला व्रत रखेंगी। तीज को लेकर महिलाओं में खासा उत्साह है। रविवार को व्रत से एक दिन पहले शहर के बाजारों में खरीदारी के लिए महिलाओं की भीड़ उमड़ी। तीज को सुहाग का पर्व माना जाता है। इसे देखते हुए महिलाओं ने साड़ी, चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, कंगन सहित अन्य श्रृंगार सामग्री की जमकर खरीदारी की। शहर के प्रमुख बाजारों में कपड़े, चूड़ी और श्रृंगार सामग्री की दुकानों पर दिनभर महिलाओं की भीड़ रही। कई महिलाओं ने पूजा के लिए आवश्यक सामग्री की भी खरीदारी की। तीज पर्व पर हाथों में मेहंदी रचाने का विशेष महत्व है। रविवार को शहर के विभिन्न स्थानों पर मेहंदी लगाने वालों के पास महिलाओं की भीड़ नजर आई। महिलाएं हाथों में आकर्षक डिजाइन की मेहंदी लगवाती रहीं।

कई स्थानों पर मेहंदी लगाने के लिए महिलाओं को अपनी बारी का इंतजार भी करना पड़ा। बाजार में तीज की खरीदारी के लिए बढ़ी भीड़ का असर कारोबार पर भी नजर आया। कपड़े,चूड़ी,श्रृंगार सामग्री और मेहंदी से जुड़े दुकानदारों के चेहरे खिले रहे। दुकानदारों का कहना है कि तीज के चलते बाजार में ग्राहकी बढ़ी है और आगामी पर्व को देखते हुए खरीदारी का सिलसिला जारी रहने की उम्मीद है। सोमवार को महिलाएं दिनभर निर्जला व्रत रखकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा-अर्चना करेंगी। पति की लंबी उम्र,सुखी दांपत्य जीवन और परिवार की सुख-समृद्धि की कामना के साथ व्रत का पारण करेंगी।

छात्रा ने फांसी लगाकर की आत्महत्या,परिजन ने छात्र नेता पर ब्लैकमेलिंग का लगाया आरोप

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,13 सितम्बर 2026
(घटती-घटना)।

गांधीनगर थाना क्षेत्र के पटपरिया में बहन और जीजा के घर रहकर कॉलेज की पढ़ाई कर रही 19 वर्षीय छात्रा ने शुक्रवार रात फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद परिजन ने गांधीनगर के मुक्तिपारा निवासी एनएसयूआई छात्र नेता ज्ञान तिवारी पर छात्रा को ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया है। मामले को लेकर शनिवार देर रात परिजन,अभाविप पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने गांधीनगर थाने का घेराव कर प्रदर्शन किया। उन्होंने आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की। जानकारी के अनुसार अंतरा शाह (19) पिता सर्वजीत शाह चीरमिरी, जिला एमसीबी की रहने वाली थी। वह अंबिकापुर के पटपरिया में अपने जीजा नीलेश

गुप्ता के घर रहकर कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी। 12 सितंबर की रात उसने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और मामले की जांच शुरू की।

छात्र नेता पर ब्लैकमेलिंग का आरोप : घटना के बाद छात्रा के परिजन ने एनएसयूआई छात्र नेता ज्ञान तिवारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजन का कहना है कि छात्र नेता के मोबाइल में छात्रा से संबंधित कुछ चैट या वीडियो थे। इन्हें परिजन को दिखाने की धमकी देकर छात्रा को कथित रूप से ब्लैकमेल किया जा रहा था। परिजन का आरोप है कि इससे परेशान होकर छात्रा ने आत्महत्या जैसा कदम उठाया। हालांकि,इन आरोपों की पुलिस स्तर पर पुष्टि होना बाकी है। पुलिस मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रही है। छात्रा के मोबाइल फोन और अन्य संभावित साक्ष्यों की जांच के बाद ही घटना के कारणों और आरोपों की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

देर रात थाने का घेराव : घटना से नाराज परिजन के साथ अभाविप पदाधिकारी और कार्यकर्ता शनिवार देर रात गांधीनगर थाने पहुंचे। उन्होंने थाने का घेराव कर प्रदर्शन किया और छात्रा की मौत के लिए जिम्मेदार बताए जा रहे आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की।

मारपीट के आरोपियों का शहर में निकाला जुलूस,हथकड़ी में कोर्ट पहुंचे

बौरीपारा में युवक से मारपीट का मामला,पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर दिखाई सख्ती

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,13 सितम्बर 2026
(घटती-घटना)।

बौरीपारा तालाब के पास युवक से मारपीट के मामले में कोतवाली पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर सोमवार को शहर में उनका जुलूस निकाला। पुलिस ने दोनों आरोपियों को हथकड़ी पहनाकर कोतवाली थाने से न्यायालय तक पैदल ले जाकर पेश किया। न्यायालय के आदेश पर दोनों को जेल भेज दिया गया। पुलिस के इस कदम को आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और लोगों में सुरक्षा का भरोसा बढ़ाने की कार्रवाई के तौर पर देखा जा रहा है। पुलिस के अनुसार 7 सितंबर की रात करीब 10 बजे नमनाकला खटिकपारा निवासी लेखांश कांत कुर्रे अपने दो दोस्तों के साथ कार से बौरीपारा में एक दोस्त के घर जा रहा था। बौरीपारा तालाब के पास उसने कार रोकी और मोबाइल पर दोस्त से बातचीत करने लगा। इसी दौरान वहां मौजूद युवकों से एक नाम लिए जाने

को लेकर विवाद हो गया। विवाद बढऩे पर आरोपियों ने युवक के साथ गाली-गलौज करते हुए हाथ-मुक्के, बेल्ट और कड़े से मारपीट की।

नाम लेने को लेकर शुरू हुआ था विवाद : शिकायत के अनुसार बातचीत के दौरान युवक ने गोलू गणेश का नाम लिया था। इस पर वहां मौजूद रतन गुप्ता और कोया डॉन ने आपत्ति जताई। आरोप है कि दोनों ने गाली-गलौज करते हुए गोलू को नाम से नहीं, बल्कि 'बाप' कहकर बुलाने की बात कही। इसके बाद विवाद बढ़ गया। गोलू गणेश ने युवक का हाथ पकड़ लिया, जबकि रतन गुप्ता, कोया डॉन और आशुतोष गुप्ता ने उसके साथ मारपीट की। मारपीट में युवक के सिर, चेहरे और कनपटी में चोटें आईं। उसके दोस्तों ने किसी तरह उसे आरोपियों के चंगुल से छुड़ाया। घटना के दौरान आरोपियों द्वारा यह कहे जाने का भी आरोप है कि उसका पिता पुलिस अधिकारी है तो उनका क्या कर लेगा।

चार नामजद सहित अन्य पर अपराध : पीड़ित की रिपोर्ट पर कोतवाली पुलिस ने गोलू गणेश, रतन गुप्ता, कोया डॉन, आशुतोष गुप्ता सहित अन्य के खिलाफ बीएनएस की धारा 296, 351(3), 115(2) और 3(5) के तहत अपराध दर्ज किया। मामले में पुलिस ने गोलू गणेश और आशुतोष गुप्ता को गिरफ्तार किया है। अन्य आरोपियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है।

थाने से कोर्ट तक पुलिस ने निकाला जुलूस : गिरफ्तारी के बाद पुलिस दोनों आरोपियों को हथकड़ी पहनाकर कोतवाली थाने से न्यायालय लेकर रवाना हुई।

पुलिस ने दोनों को गुरुनानक चौक, महामाया चौक, संगम चौक, देवीगंज रोड और घड़ी चौक होते हुए न्यायालय तक पैदल ले गई। इस दौरान सडक़ पर लोगों की भीड़ भी नजर आई। न्यायालय में पेश करने के बाद दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया।

पुलिस से बचने 3 किमी भागे गांजा तस्कर,गन्ने के खेत में छिपे

स्कॉर्पियो छोडक़र भागे तीन आरोपी,घेराबंदी कर दो को दबोचा,69 लाख का 138 किलो गांजा जब्त

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,13 सितम्बर 2026
(घटती-घटना)।

जशपुर के बगीचा से गांजे की खेप लेकर सरगुजा की ओर आ रहे तस्करों ने पुलिस की घेराबंदी देखकर रास्ता बदलकर भागने का प्रयास किया। बगीचा,लुंड्रा और बतौली पुलिस की संयुक्त टीम ने पीछा किया तो स्कॉर्पियो सवार तीन आरोपी वाहन छोडक़र करीब तीन किलोमीटर तक भागे और गन्ने के खेत में जाकर छिप गए। पुलिस ने घेराबंदी कर दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि तीसरा आरोपी अमन फरार हो गया। पुलिस ने मौके से स्कॉर्पियो में छिपाकर रखा 138 किलो गांजा जब्त किया है। इसकी कीमत करीब 69 लाख रुपए बताई गई है।

पुलिस के अनुसार रविवार सुबह करीब 5.30 बजे बगीचा एसडीओपी दिलीप कोसले को मुखबिर से सूचना मिली थी कि थार और लग्जरी स्कॉर्पियो में गांजे की बड़ी खेप लेकर कुछ तस्कर तेज रफ्तार से जा रहे हैं। सूचना मिलते ही बगीचा पुलिस ने मुख्य मार्ग पर घेराबंदी की। पुलिस ने वाहनों को रोकने के लिए सडक़ पर ट्रक भी लगाया, लेकिन तस्करों ने रास्ता बदल दिया और तेज रफ्तार में सरगुजा की ओर भागने लगे। इस दौरान एक आरक्षक और एक महिला वाहन की चपेट में आने से बाल-बाल बच गए।

तीन थानों की पुलिस ने शुरू किया पीछा : मामले की सूचना बगीचा एसडीओपी ने सरगुजा जिले के लुंड्रा, बतौली और रघुनाथपुर पुलिस को दी। इसके बाद तीनों थाना क्षेत्रों की पुलिस अलर्ट हो गई। एसडीओपी के नेतृत्व में बगीचा पुलिस भी दोनों वाहनों का पीछा करती रही। इस दौरान थार सवार तस्कर पुलिस को चकमा देकर भाग निकले, जबकि स्कॉर्पियो सवार आरोपी लुंड्रा थाना क्षेत्र के ग्राम बरगीडीह के पनिकापारा के पास वाहन छोडक़र भाग गए।

स्कॉर्पियो में मिले 53 पैकेट : स्कॉर्पियो-एन क्रमांक टी 0926 डीएल 9414 जी (टेंपररी नंबर) की तलाशी लेने पर पुलिस को 53 छोटे-बड़े टेप लगे पैकेट मिले। इनमें कुल 138 किलो गांजा भरा हुआ था। पुलिस ने गांजा और स्कॉर्पियो को जब्त कर लिया। इधर स्कॉर्पियो छोडक़र भागे आरोपी करीब तीन किलोमीटर दूर ग्राम झेराडीह के गन्ने के खेत में जाकर छिप गए। पुलिस की अलग-अलग टीमों ने खेत की घेराबंदी कर तलाशी शुरू की। कुछ देर की तलाश के बाद दो आरोपियों को पकड़ लिया गया।

यूपी के दो आरोपी गिरफ्तार : पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों की पहचान उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद निवासी बलराज सिंह (23) और अनिल बंसल (23) के रूप में की है। तीसरा आरोपी अमन फरार है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। पुलिस के अनुसार थार में सवार आरोपी गांजे से भरी स्कॉर्पियो की पायलेटिंग कर रहे थे। पूछताछ में आरोपियों से गांजे की खेप के स्रोत और इसे कहां पहुंचाया जाना था, इसकी जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस थार सवार फरार आरोपियों की भी तलाश कर रही है।

ग्रामीण विकास के दावों की खुली पोल,गड्ढों में तब्दील सड़क बनी ग्रामीणों की मुसीबत

चांदो से इदरी कला-कुरड़ी मार्ग बदहाल,बारिश में बढ़ा हादसों का खतरा; कलेक्टर से सड़क निर्माण की अपील

-संवाददाता-
बलरामपुर/कुसमी,13 सितम्बर 2026
(घटती-घटना)।

ग्रामीण विकास के नाम पर हर साल लाखों-करोड़ों रुपये का बजट जारी किए जाने के दावों के बीच गांवों की सड़कों की बदहाली सरकारी योजनाओं की जमीनी हकीकत सामने ला रही है। बलरामपुर जिले के कुसमी विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत चांदो से इदरी कला और कुरड़ी को जोड़ने वाली मुख्य पंचायती सड़क इन दिनों प्रशासनिक उपेक्षा और बदहाली की मिसाल बन चुकी है। सड़क पर जगह-जगह गहरे गड्ढे और बारिश से बिगड़ी स्थिति ने ग्रामीणों का आवागमन मुश्किल कर दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि जिम्मेदारों की अनदेखी के कारण यह सड़क अब सुविधा के बजाय परेशानी का कारण बन गई है।

गड्ढों में सफर, हर दिन हादसे का डर : मानसून की बारिश ने सड़क के गड्ढों को और गहरा कर दिया है। स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार कई स्थानों पर सड़क की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि पैदल चलना भी चुनौती बन गया है। यह मार्ग आसपास की कई पंचायतों को आपस में जोड़ता है और ग्रामीणों की रोजमर्रा की आवाजाही का प्रमुख साधन है। इसके बावजूद सड़क की उचित देखरेख और मरम्मत नहीं होने से दुर्घटनाओं का खतरा बना हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि खराब सड़क के कारण दोपहिया वाहन चालकों को सबसे अधिक परेशानी उठानी पड़ती है। बारिश के दौरान गड्ढों में पानी भर जाने से उनकी गहराई का अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में वाहन फिसलने और दुर्घटना होने की आशंका बनी रहती है। सड़क की बदहाली का असर पैदल चलने वाले लोगों पर भी पड़ रहा है।

मरीजों और स्कूली बच्चों की परेशानी बढ़ी : चांदो से इदरी कला और कुरड़ी को जोड़ने वाली सड़क केवल आवागमन का मार्ग नहीं, बल्कि ग्रामीणों की दैनिक जरूरतों से जुड़ी महत्वपूर्ण सड़क है। मरीजों और गर्भवती महिलाओं को अस्पताल पहुंचाने से लेकर बच्चों के स्कूल जाने तक, ग्रामीणों को इसी मार्ग से होकर गुजरना पड़ता है। आपातकालीन स्थिति में खराब सड़क परेशानी को और बढ़ा देती है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि किसी मरीज को तत्काल अस्पताल पहुंचाने की जरूरत पड़े, तो गड्ढों से भरी सड़क के कारण समय पर चिकित्सा सुविधा तक पहुंचना मुश्किल हो सकता है। स्कूली बच्चों और रोजी-रोजगार के लिए आने-जाने वाले ग्रामीणों को भी हर दिन जोखिम उठाना पड़ता है। ग्रामीणों के अनुसार सड़क की बदहाली लंबे समय से बनी हुई है, लेकिन अब तक इसका स्थायी समाधान नहीं किया गया है। बारिश के मौसम में समस्या और गंभीर हो गई है।

पंचायतों को बजट, फिर सड़क की मरम्मत क्यों नहीं? ग्रामीणों ने पंचायतों को मिलने वाले वित्त आयोग और मूलभूत सुविधाओं के बजट के उपयोग पर भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि ग्रामीण विकास के लिए हर साल लाखों रुपये की राशि और योजनाएं स्वीकृत होती हैं। इसके बावजूद चांदो से इदरी कला-कुरड़ी जैसे महत्वपूर्ण मार्ग की हालत सुधारने के लिए ठोस पहल नहीं हो रही है। ग्रामीणों का सवाल है कि जब पंचायतों को सड़क, नाली और अन्य मूलभूत सुविधाओं के लिए बजट मिलता है, तो इस मुख्य सड़क की मरम्मत को प्राथमिकता क्यों नहीं दी जा रही? क्या जिम्मेदार अधिकारी सड़क की वास्तविक स्थिति से अनजान हैं या फिर समस्या को जानबूझकर नजरअंदाज किया जा रहा है? ग्रामीणों ने 14वें और 15वें वित्त आयोग सहित पंचायतों को मिलने वाले मूलभूत विकास मद की राशि के उपयोग पर भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि यदि उपलब्ध बजट का सही तरीके से उपयोग किया जाता, तो सड़क की हालत में सुधार हो सकता था। हालांकि, संबंधित पंचायत और विभाग द्वारा इस सड़क के लिए स्वीकृत राशि, पूर्व में हुए कार्यों और मरम्मत की स्थिति की जानकारी सामने नहीं आई है।

प्रशासनिक अनदेखी पर उठ रहे सवाल : ग्रामीणों का आरोप है कि स्थानीय स्तर पर शिकायतों और समस्याओं के बावजूद सड़क की हालत में सुधार नहीं हो रहा है। जनपद और जिला प्रशासन के अधिकारियों से सड़क की स्थिति का निरीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई की अपेक्षा है,लेकिन अब तक ग्रामीणों को राहत नहीं मिल सकी है। सड़क जैसी बुनियादी सुविधा की बदहाली ग्रामीण विकास की योजनाओं और उनके क्रियान्वयन पर सवाल खड़े करती है। सरकार गांवों के विकास और बेहतर कनेक्टिविटी के दावे करती है,लेकिन चांदो से इदरी कला-कुरड़ी मार्ग की स्थिति इन दावों की जमीनी परीक्षा ले रही है। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क की मरम्मत केवल बारिश के समय गड्ढों में मिट्टी या गिट्टी डालकर नहीं, बल्कि स्थायी रूप से की जानी चाहिए।

जंगली सुअर के शिकार के लिए बिछाए करंट वाले तार की चपेट में आने से युवक की मौत

बाड़ी साफ करते समय लकड़ी लेने गया था रामकृष्णा कोरवा,पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,13 सितम्बर 2026
(घटती-घटना)।

बतौली थाना क्षेत्र में जंगली सुअर के शिकार के लिए कथित रूप से बिछाए गए अवैध बिजली के तार की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। घटना 12 सितंबर की सुबह करीब 10.30 बजे की है। सूचना पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने घटना में इस्तेमाल बिजली का तार भी जब्त किया है। पुलिस के अनुसार सूचक राम कैलाश ने 12 सितंबर को बतौली थाने में घटना की सूचना दी। उसने बताया कि उसका भाई रामकृष्णा कोरवा अपने साथियों के साथ बाड़ी की सफाई का काम कर रहा था। काम के दौरान काटी गई झाड़ियों को हटाने के लिए लकड़ी का गेंड़ा लेने वह मनबहाल कोरवा के मक्के के खेत के पास से गुजर रहा था। इसी दौरान वह खेत के किनारे बिछाए गए बिजली के तार की चपेट में आ गया। करंट लगने से रामकृष्णा की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना के

बाद पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू की। पुलिस जांच के अनुसार मृतक के करंट की चपेट में आने का कारण मक्के की फसल के किनारे खींचा गया अवैध विद्युत तार बताया गया है। पुलिस का आरोप है कि आरोपी मनबहाल राम ने अपने घर से अवैध कनेक्शन लेकर खेत में नंगा जीआई विद्युत तार बिछाया था। इसे जंगली जानवर, विशेषकर सुअर के शिकार के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। पुलिस के अनुसार आरोपी को यह जानकारी थी कि खुले और करंट प्रवाहित तार के संपर्क में आने से किसी व्यक्ति की मौत हो सकती है। इसके बावजूद उसने कथित रूप से ऐसा कृत्य किया। घटना की जांच के दौरान पुलिस टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। इसके बाद आरोपी मनबहाल राम को पकडक़र थाने लाया गया। पूछताछ में उसने अपना नाम मनबहाल राम पिता कमंडल, उम्र 44 वर्ष, निवासी बासाझाल, थाना बतौली बताया। पुलिस के अनुसार पूछताछ के दौरान आरोपी ने घटना से संबंधित अपराध स्वीकार किया। पुलिस ने घटना में इस्तेमाल विद्युत तार को भी जब्त कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ थाना बतौली में बीएनएस की धारा 105 एवं विद्युत अधिनियम की धारा 135 में अपराध दर्ज किया है।

साधुराम विद्या मंदिर में बच्चों को सिखाया सुरक्षा का पाठ, गुड टच-बैड टच से लेकर साइबर अपराध तक दी जानकारी

बाल विवाह,नशे के दुष्प्रभाव और यातायात नियमों को लेकर विद्यार्थियों को किया जागरूक,चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 और महिला हेल्पलाइन 181 की दी जानकारी

-संवाददाता-
सूरजपुर,13 सितम्बर 2026 (घटती-घटना)।
बच्चों को उनके अधिकारों और सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से साधुराम विद्या मंदिर,सूरजपुर में विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया,कलेक्टर रेना जमील के निर्देशन तथा जिला कार्यक्रम अधिकारी शुभम बंसल के मार्गदर्शन में आयोजित कार्यक्रम में विद्यार्थियों को गुड टच-बैड टच,बाल अधिकार,साइबर अपराध, बाल विवाह,नशे के दुष्प्रभाव,यातायात नियम और महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी दी गई। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को ऐसी परिस्थितियों के प्रति सजग करना रहा,जिनका सामना उन्हें घर,स्कूल,सार्वजनिक स्थानों अथवा डिजिटल माध्यमों पर करना पड़ सकता है,वक्ताओं ने बच्चों को सरल भाषा में बताया कि सुरक्षा केवल बड़ों की जिम्मेदारी नहीं,बल्कि बच्चों को भी अपने अधिकारों और सुरक्षा उपायों की जानकारी होना जरूरी है।

गुड टच-बैड टच को समझना जरूरी

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला बाल संरक्षण अधिकारी मनोज जायसवाल ने विद्यार्थियों को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों की जानकारी दी,उन्होंने कहा कि बच्चों के लिए गुड टच और बैड टच के बीच अंतर समझना बेहद जरूरी है,उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि यदि किसी व्यक्ति का व्यवहार उन्हें असहज या अनुचित महसूस कराता है तो उसे नजरअंदाज न करें। ऐसी स्थिति में तुरंत अपने माता-पिता, शिक्षक या किसी भरोसेमंद व्यक्ति को इसकी जानकारी दें,उन्होंने यह भी समझाया कि किसी घटना के बाद डर,शर्म या सामाजिक दबाव के कारण चुप रहना समाधान नहीं है, बच्चों को अपनी सुरक्षा के लिए आवाज उठाने और आवश्यकता पड़ने पर संबंधित सहायता तंत्र तक पहुंचने के लिए प्रोत्साहित किया गया।

चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 की दी जानकारी-जायसवाल ने बच्चों को चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 के बारे में जानकारी दी,उन्होंने बताया कि जरूरत पड़ने पर बच्चे अथवा उनकी ओर से कोई व्यक्ति सहायता के लिए इस माध्यम से संपर्क कर सकता है, बच्चों को यह भी बताया गया कि बाल संरक्षण से जुड़े मामलों में उनकी सुरक्षा और सहायता के लिए प्रशासनिक एवं कानूनी व्यवस्थाएं मौजूद हैं, उन्होंने विद्यार्थियों से आग्रह किया कि किसी बच्चे के साथ परेशानी होने पर उसे अकेला न छोड़ें और भरोसेमंद व जिम्मेदार व्यक्ति तक बात पहुंचाएं।

बिना कानूनी प्रक्रिया के गोद लेना-देना अपराध-दत्तक ग्रहण के संबंध में भी विद्यार्थियों को महत्वपूर्ण जानकारी दी गई, उन्हें बताया गया कि निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना किसी बच्चे को गोद लेना या देना कानूनन अपराध हो सकता है, बच्चों की सुरक्षा और उनके हितों को ध्यान में रखते हुए दत्तक ग्रहण के लिए निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन करना जरूरी है, इस संबंध में विद्यार्थियों को जागरूक किया गया, ताकि वे स्वयं भी सही जानकारी रखें और अपने परिवार एवं समाज में भी गलत धारणाओं को दूर कर सकें।

नशे से दूर रहने का दिया संदेश-'एक युद्ध नशे के विरुद्ध' अभियान के तहत विद्यार्थियों को नशे के दुष्परिणामों के प्रति जागरूक किया गया,जायसवाल ने बच्चों से स्वयं नशे से दूर रहने के साथ-साथ अपने परिवार के सदस्यों और आसपास के लोगों को भी नशे के नुकसान के बारे में जागरूक करने की अपील की,उन्होंने विद्यार्थियों को बताया कि नशे की शुरुआत अक्सर छोटी उम्र में जिज्ञासा या साथियों के दबाव के कारण हो सकती है,इसलिए किसी भी प्रकार के नशे से दूरी बनाए रखना जरूरी है।

साइबर अपराध से बचने मोबाइल इस्तेमाल में बरतें सावधानी-डिजिटल युग में बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा को देखते हुए कार्यक्रम में साइबर अपराध से बचाव पर विशेष जोर दिया गया,विद्यार्थियों को मोबाइल फोन और सोशल मीडिया का सुरक्षित एवं जिम्मेदारी से उपयोग करने की सलाह दी गई, उन्हें विशेष रूप से समझाया गया कि अपना OTP किसी के साथ साझा न करें,अनजान लोगों से वीडियो कॉल पर बातचीत करने से बचें,निजी फोटो या व्यक्तिगत जानकारी सोशल मीडिया पर साझा न करें,सोशल मीडिया पर अनजान लोगों की फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार करने में सावधानी बरतें,संदिग्ध लिंक अथवा संदेश पर क्लिक न करें,किसी भी ऑनलाइन धोखाधड़ी या असहज स्थिति की जानकारी तुरंत अभिभावक या शिक्षक को दें, विद्यार्थियों को बताया गया कि डिजिटल दुनिया में सावधानी ही सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा उपायों में से एक है।

कम उम्र में वाहन चलाने से बचें-कार्यक्रम में विद्यार्थियों को यातायात नियमों की भी जानकारी दी गई,कम उम्र में वाहन चलाने और बिना लाइसेंस वाहन चलाने से बचने की समझाइश दी गई,विद्यार्थियों से अपने अभिभावकों को भी यातायात नियमों के पालन के लिए प्रेरित करने को कहा गया, उन्हें ड्राइविंग लाइसेंस,वाहन का बीमा और पंजीयन दस्तावेज साथ रखने तथा दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का अनिवार्य रूप से उपयोग करने का संदेश दिया गया।

किशोर न्याय कानून और बाल संरक्षण की जानकारी...

कार्यक्रम में विद्यार्थियों को किशोर न्याय अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों की भी जानकारी दी गई,संरक्षण एवं देखरेख की आवश्यकता वाले बच्चों तथा विधि के विरुद्ध कार्य करने वाले बच्चों के लिए कानून में किए गए प्रावधानों को सरल भाषा में समझाया गया,इसके अलावा बाल कल्याण समिति और किशोर न्याय बोर्ड की भूमिका के बारे में भी विद्यार्थियों को जानकारी दी गई,बाल भिक्षावृत्ति के उन्मूलन और बच्चों के संरक्षण से संबंधित प्रावधानों पर भी चर्चा की गई।

बाल विवाह के खिलाफ विद्यार्थियों से आगे आने की अपील

कार्यक्रम में 'बाल विवाह मुक्त सूरजपुर अभियान' की जानकारी देते हुए जायसवाल ने कहा कि जिले को बाल विवाह मुक्त बनाने के लिए प्रशासन द्वारा व्यापक स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं,उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि बाल विवाह केवल एक सामाजिक कुप्रथा नहीं, बल्कि बच्चों के अधिकार और उनके भविष्य से जुड़ा गंभीर विषय है, उन्होंने विद्यार्थियों से स्वयं जागरूक रहने तथा अपने आसपास होने वाले बाल विवाह के प्रति परिवार और समाज में जागरूकता फैलाने का आह्वान किया,उन्होंने बताया कि जागरूकता कार्यक्रमों के साथ पुराने बाल विवाह से जुड़े मामलों का फॉलोअप भी किया जा रहा है,ताकि बाल विवाह की पुनरावृत्ति को रोका जा सके।

महिलाओं की सुरक्षा के लिए 181 हेल्पलाइन की जानकारी

सखी वन स्टॉप सेंटर की काउंसलर चंदा प्रजापति ने संकटग्रस्त महिलाओं के लिए उपलब्ध सहायता एवं सेवाओं की जानकारी दी,उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि वे अपने परिवार और आसपास की महिलाओं को भी इन सेवाओं के बारे में जानकारी दें,उन्होंने बताया कि संकट की स्थिति में महिलाएं टोल फ्री हेल्पलाइन 181 के माध्यम से सहायता प्राप्त कर सकती हैं,सखी वन स्टॉप सेंटर के माध्यम से उपलब्ध सेवाओं के बारे में भी जानकारी दी गई और बताया गया कि ये सेवाएं निःशुल्क हैं।

किशोरियों को मासिक धर्म स्वच्छता की जानकारी

महिला सशक्तिकरण हब की फरजाना अंसारी ने किशोरियों को मासिक धर्म के दौरान स्वच्छता एवं स्वास्थ्य संबंधी सावधानियों की जानकारी दी, उन्होंने कहा कि मासिक धर्म एक सामान्य जैविक प्रक्रिया है और इस दौरान स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए,किशोरियों को किसी भी स्वास्थ्य संबंधी परेशानी होने पर भरोसेमंद अभिभावक,शिक्षक या स्वास्थ्यकर्मी से सलाह लेने के लिए प्रेरित किया गया,उन्होंने बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान की जानकारी देते हुए कहा कि बेटियां आज शिक्षा,खेल विज्ञान और विभिन्न क्षेत्रों में अपनी पहचान बना रही हैं,उन्होंने छात्राओं को शिक्षा को प्राथमिकता देने और अपने लक्ष्य की दिशा में निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया।

बच्चों के अधिकारों की जानकारी से बढ़ेगा आत्मविश्वास

कार्यक्रम में बच्चों को यह संदेश दिया गया कि अपने अधिकारों और सुरक्षा उपायों की जानकारी होने से वे कठिन परिस्थितियों का बेहतर तरीके से सामना कर सकते हैं,वक्ताओं ने बच्चों को किसी भी प्रकार की परेशानी होने पर चुप रहने के बजाय भरोसेमंद व्यक्ति से बात करने के लिए प्रेरित किया, कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों ने अपने-अपने क्षेत्र से संबंधित जानकारी साझा की और विद्यार्थियों के सवालों का समाधान भी किया,इस अवसर पर विद्यालय संचालक राहुल अग्रवाल,प्राचार्य खुशबू सिंह,महिला सशक्तिकरण हब की जेंडर विशेषज्ञ सलोनी कुजूर,चाइल्ड लाइन से प्रकाश राजवाड़े,सूरजपुर कोतवाली से सुमन पांडे सहित संबंधित विभागों के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।

एक कार्यक्रम,सुरक्षा से जुड़े कई संदेश

साधुराम विद्या मंदिर में आयोजित यह जागरूकता कार्यक्रम बच्चों को सुरक्षित स्पर्श की पहचान से लेकर डिजिटल सुरक्षा,बाल विवाह के विरोध,नशे से दूरी और यातायात नियमों के पालन तक कई महत्वपूर्ण विषयों से जोड़ने वाला रहा,ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से बच्चों को समय रहते सही जानकारी देना उन्हें सुरक्षित वातावरण देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा सकता है।

जंगल की लकड़ी काटने से मना किया तो युवक से मारपीट,तलवार लहराकर दी जान से मारने की धमकी

कोरंधा पुलिस की त्वरित कार्रवाई,आरोपी गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया...

-संवाददाता-
बलरामपुर-रामानुजगंज,13 सितम्बर 2026 (घटती-घटना)।
जंगल की लकड़ी काटने से मना करने पर ग्रामीण से मारपीट और तलवार लहराकर जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। बलरामपुर जिले के थाना कोरंधा क्षेत्र के ग्राम देवरी में हुई इस घटना में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के कब्जे से हथियार बरामद किया गया है। पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है।

जंगल की लकड़ी काटने का विरोध करने पर विवाद : पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार ग्राम देवरी निवासी सुरजीत लकड़ा (30 वर्ष) ने थाना कोरंधा में रिपोर्ट दर्ज कराई। प्रार्थी ने बताया कि गांव के उपसरपंच और ग्रामीणों ने पूर्व में गांव के जंगल से लकड़ी काटने से मना किया था। इसके बावजूद ग्राम देवरी निवासी राजेंद्र लकड़ा (45 वर्ष) जंगल से लकड़ी काटकर अपने खेत में जमा कर रहा था। 13 सितंबर 2026 की सुबह करीब 9 बजे जब सुरजीत लकड़ा ने आरोपी को जंगल की लकड़ी काटने से मना किया,तो वह उग्र हो गया। आरोप है कि राजेंद्र लकड़ा ने अश्लील गाली-गलौज करते हुए प्रार्थी के साथ हाथ-मुक्कों से मारपीट की।

घर से तलवार निकालकर पंचायत भवन के पास पहुंचा : पुलिस के अनुसार मारपीट करने के बाद आरोपी अपने घर गया और अंदर से लोहे की तलवार निकालकर लहराते हुए पंचायत भवन के पास पहुंचा। आरोप है कि वहां आरोपी ने ग्रामीणों को दोबारा जान से मारने की धमकी दी। घटना के बाद ग्रामीणों में भय का माहौल बन गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रार्थी ने थाना कोरंधा में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने शिकायत के आधार पर तत्काल कार्रवाई शुरू की।

बीएनएस और आर्म्स एक्ट की धाराओं में अपराध दर्ज : प्रार्थी सुरजीत लकड़ा की शिकायत पर थाना कोरंधा में अपराध क्रमांक 16/2026 दर्ज किया गया। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 296, 351(3), 115(2) तथा आर्म्स एक्ट की धारा 25, 27 के तहत मामला दर्ज कर विवेचना में लिया। पुलिस ने आरोपी राजेंद्र लकड़ा को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पुलिस के अनुसार पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपना जुर्म स्वीकार किया। इसके बाद आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया। आरोपी के कब्जे से तलवार बरामद किए जाने की जानकारी पुलिस ने दी है।

कोरंधा पुलिस की त्वरित कार्रवाई : मामले में पुलिस ने घटना की गंभीरता को देखते हुए तत्काल कार्रवाई की। हथियार लहराकर ग्रामीणों को धमकी देने के आरोप में आरोपी की गिरफ्तारी से गांव में राहत की स्थिति बनी है। पुलिस ने प्रकरण की विवेचना जारी रखी है।

खड़गवां : पोड़ी में आबादी पट्टा वितरण पर बड़ा सवाल,40 के आदेश से 60 तक कैसे पहुंची सूची?

- तत्कालीन तहसीलदार के ईश्तहार में कथित छेड़छाड़ का आरोप,ग्राम सभा की कार्यवाही पंजी से लेकर पट्टों तक जांच की मांग...
- ग्रामीणों ने रसूखदारों और अपात्र लोगों को लाभ पहुंचाने के आरोपों की निष्पक्ष जांच की मांग की...

-संवाददाता-
खड़गवां,13 सितम्बर 2026 (घटती-घटना)।
ग्राम पंचायत पोड़ी में वर्ष 2015-16 एवं 2017-18 के दौरान किए गए आबादी पट्टा वितरण को लेकर अब गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं,शिकायत और ग्रामीणों की ओर से लगाए गए आरोपों के अनुसार तत्कालीन तहसीलदार खड़गवां के न्यायालयीन आदेश के आधार पर जारी ईश्तहार में निर्धारित हितग्राहियों की संख्या से कथित रूप से छेड़छाड़ कर अतिरिक्त नाम जोड़े गए और बाद में इन लोगों को आबादी पट्टे जारी कर दिए गए। मामले में वर्तमान सरपंच द्वारा सितंबर 2025 में तत्कालीन कोरिया कलेक्टर से शिकायत कर ग्राम सभा की कार्यवाही पंजी,ईश्तहार, मेंटेनेंस प्रपत्र,नक्शा,पंचायत प्रस्ताव और आबादी पट्टों की बिंदुवार जांच कराने की मांग किए जाने की बात सामने आई है,ग्रामीणों का कहना है कि शिकायत के बाद भी लंबे समय तक जांच आगे नहीं बढ़ना प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर सवाल खड़ा करता है।

40 हितग्राहियों से दस्तावेज मांगे गए,फिर 60 नाम कैसे जुड़े?-शिकायत से जुड़े आरोपों के मुताबिक तत्कालीन न्यायालय तहसीलदार खड़गवां द्वारा जारी ईश्तहार में 40 कृषकों को खसरा एवं रकबे सहित आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए थे, इनमें मेंटेनेंस प्रपत्र-1,नक्शा और ग्राम पंचायत प्रस्ताव की छायाप्रति सहित अन्य दस्तावेज शामिल थे,यहीं से मामले का सबसे बड़ा सवाल सामने आता है,आरोप है कि प्रक्रिया के दौरान ईश्तहार में कथित तौर पर छेड़छाड़ कर 40 की जगह 60 लोगों को सूची में शामिल कर दिया गया, यदि मूल न्यायालयीन प्रक्रिया में 40 हितग्राहियों से दस्तावेज मांगे गए थे तो अतिरिक्त 20 नाम किस आधार पर जोड़े गए? इन नामों को शामिल करने की अनुमति किस स्तर पर दी गई और बाद में इनके पक्ष में पट्टे जारी करने से पहले पात्रता का सत्यापन किस अधिकारी ने किया? ग्रामीणों की मांग है कि ईश्तहार की मूल प्रति और बाद में उपयोग किए गए दस्तावेज की जांच कराई जाए, ताकि किसी संभावित बदलाव की वास्तविक स्थिति सामने आ सके।

ग्राम सभा की कार्यवाही पंजी पर भी उठ रहे सवाल-मामले में ग्राम सभा की मूल कार्यवाही पंजी को महत्वपूर्ण दस्तावेज माना जा रहा है, ग्रामीणों का आरोप है कि तत्कालीन पंचायत सचिव पर प्रभावशाली और राजनीतिक रूप से रसूख रखने वाले लोगों के दबाव में ऐसे नाम कार्यवाही में शामिल करने का आरोप है, जो कथित रूप से निर्धारित पात्रता के दायरे में नहीं आते थे,हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र प्रशासनिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। ऐसे में निष्पक्ष जांच के दौरान मूल कार्यवाही पंजी, प्रस्ताव की तारीख, उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर, ईश्तहार, खसरा रिकॉर्ड, नक्शा और पट्टा दस्तावेज का मिलान महत्वपूर्ण होगा, दस्तावेजों के मिलान से यह स्पष्ट हो सकता है कि किन लोगों के नाम कब और किस प्रक्रिया के तहत शामिल किए गए।

कई एकड़ जमीन और पक्के मकान वालों को भी पट्टा देने का आरोप-ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि 60 लाभार्थियों की संपत्ति और भूमि रिकॉर्ड की बिंदुवार जांच कराई जाए तो ऐसे कई नाम सामने आ सकते हैं, जिनके पास पहले से पर्याप्त कृषि भूमि और पक्के मकान हैं, कुछ लाभार्थियों के पास कई एकड़ कृषि भूमि होने का दावा भी किया जा रहा है। ग्रामीणों का सवाल है कि यदि संबंधित योजना का लाभ वास्तविक जरूरतमंद और भूमिहीन परिवारों को मिलना था तो पहले से संपन्न लोगों को इसका लाभ किस आधार पर मिला? यही नहीं, ग्रामीणों का यह भी दावा है कि कुछ ऐसे लोगों को पट्टा मिला जो अन्य पंचायतों के निवासी बताए जा रहे हैं, यदि यह आरोप सही पाया जाता है तो निवास, भूमि स्थिति और पात्रता से जुड़े रिकॉर्ड की जांच भी आवश्यक होगी।

शासकीय और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के नाम होने का भी आरोप-मामले को और गंभीर बनाते हुए ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि लाभार्थियों की सूची में कुछ शासकीय कर्मचारी और सेवानिवृत्त कर्मचारी भी शामिल हैं,कुछ परिवारों में दो-दो शासकीय कर्मचारी होने के बावजूद शासकीय भूमि का लाभ लेने का दावा किया जा रहा है,यदि जांच में यह तथ्य सामने आता है तो यह भी जांच का विषय होगा कि संबंधित व्यक्तियों ने आवेदन के समय अपनी वास्तविक भूमि, आवास, रोजगार और पारिवारिक संपत्ति की स्थिति क्या दर्शाई थी तथा पात्रता परीक्षण किस स्तर पर किया गया था।

पूर्व मंत्री के पिता और राजनीतिक रसूख वाले लोगों के नाम का दावा-शिकायत और ग्रामीणों के आरोपों में यह दावा भी किया जा रहा है कि लाभार्थियों की सूची में एक पूर्व मंत्री के पिता तथा राजनीतिक रूप से प्रभावशाली परिवारों से जुड़े लोगों के नाम शामिल हैं, इन दावों की भी अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, यदि जांच में प्रभावशाली अथवा आर्थिक रूप से सक्षम लोगों को पात्रता के विपरीत आबादी पट्टा दिए जाने की पुष्टि होती है तो पट्टा जारी करने की प्रक्रिया में शामिल अधिकारियों-कर्मचारियों की भूमिका भी जांच के दायरे में आनी चाहिए।

एक साल से शिकायत, जांच क्यों लंबित?-ग्रामीणों का सबसे बड़ा सवाल अब शिकायत की जांच को लेकर है। सितंबर 2025 में कलेक्टर के समक्ष शिकायत किए जाने के बावजूद यदि अब तक जांच पूरी नहीं हुई है तो इसकी वजह भी सार्वजनिक की जानी चाहिए,ग्रामीणों की मांग है कि मामले की जांच स्थानीय स्तर तक सीमित न रखकर वरिष्ठ एवं निष्पक्ष अधिकारियों की टीम से कराई जाए,सभी 60 लाभार्थियों के भूमि रिकॉर्ड,परिवार की कुल संपत्ति,आवास की स्थिति,सरकारी सेवा या पेंशन की स्थिति, निवास प्रमाण,ग्राम सभा की कार्यवाही और पट्टा जारी करने की पूरी प्रक्रिया की जांच हो।

रिकॉर्ड की जांच से खुलेगा '40 से 60' का राज-पोड़ी आबादी पट्टा मामले में सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है कि जब न्यायालयीन प्रक्रिया में 40 हितग्राहियों के दस्तावेज मांगे गए थे तो संख्या 60 तक कैसे पहुंची? क्या ईश्तहार में वास्तव में संशोधन हुआ? यदि हुआ तो किसने किया? अतिरिक्त 20 नाम किस आधार पर जोड़े गए? ग्राम सभा की कार्यवाही में इन नामों को कब शामिल किया गया? पटवारी,आरआई और तहसील स्तर पर पात्रता का सत्यापन किस आधार पर हुआ? इन सभी सवालों का जवाब मूल सरकारी रिकॉर्ड और स्वतंत्र जांच से ही सामने आ सकता है,फिलहाल लगाए गए आरोपों की आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है। इसलिए जांच पूरी होने से पहले किसी व्यक्ति को अपात्र या दोषी ठहराने के बजाय प्रशासन से दस्तावेजों की निष्पक्ष जांच और पूरी रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग उठ रही है।

कोरिया कलेक्टरेट में वर्षों से कायम स्टेनो की कुर्सी पर सवाल बरकरार

सोनहत महिला-बाल विकास में गुरुजी को प्रभार मिलने से सुशासन पर नई बहस

कलेक्टर बदले,सरकारें बदलीं...नहीं बदली तो 25 साल पुरानी स्टेनो की कुर्सी,अब गुरुजी को मिला दूसरे विभाग का प्रभार

कोरिया में 'सुशासन' का नया मॉडल? 25 साल पुरानी प्रतिनियुक्ति के बीच शिक्षक को महिला-बाल विकास की जिम्मेदारी...

एक कुर्सी 25 साल से कायम,दूसरी पर गुरुजी की तैनाती,कोरिया में प्रतिनियुक्ति व्यवस्था पर उठे सवाल...

25 साल पुराना 'स्टेनो राज' बरकरार, अब महिला-बाल विकास में भी प्रतिनियुक्ति का नया खेल?

25 साल पुरानी कुर्सी से लेकर गुरुजी के नए प्रभार तक...कोरिया की प्रशासनिक व्यवस्था पर उठे बड़े सवाल...

-रवि सिंह-

बैकुण्ठपुर/कोरिया,13 सितम्बर 2026 (घटती-घटना)।

देश में 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया,लेकिन कोरिया जिले में प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े दो मामले ऐसे हैं,जो 'प्रतिनियुक्ति'और 'अतिरिक्त प्रभार' की व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं,एक ओर कलेक्टर कार्यालय में करीब 25 वर्षों से चली आ रही स्टेनोग्राफर की व्यवस्था को लेकर सवालों का सिलसिला थम नहीं रहा है,वहीं दूसरी ओर अब एक माध्यमिक शाला के प्रधान पाठक को महिला एवं बाल विकास विभाग,सोनहत की विकासखंड स्तरीय जिम्मेदारी दिए जाने का मामला सामने आया है। एक मामले में सवाल है कि एक कर्मचारी इतने लंबे समय तक मूल विभाग से अलग प्रशासनिक कार्यालय में कैसे बना रहा, जबकि दूसरे मामले में सवाल यह है कि एक शिक्षक को उसकी मूल शैक्षणिक जिम्मेदारी के साथ दूसरे विभाग की महत्वपूर्ण प्रशासनिक जिम्मेदारी देने की आवश्यकता और नियम क्या हैं? दोनों मामलों को एक साथ देखने पर कोरिया की प्रशासनिक व्यवस्था में प्रतिनियुक्ति, संलग्नीकरण, अतिरिक्त प्रभार,विभागीय विशेषज्ञता और वित्तीय अधिकारों को लेकर पारदर्शिता की जरूरत और अधिक स्पष्ट होती है।

एक कुर्सी 25 साल से कायम, कलेक्टर बदलते रहे-कोरिया कलेक्टर कार्यालय में लंबे समय से स्टेनो के रूप में कार्यरत घनश्याम मिश्रा की पदस्थापना/प्रतिनियुक्ति को लेकर दैनिक घटती-घटना द्वारा पूर्व में लगातार सवाल उठाए जाते रहे हैं, उपलब्ध दस्तावेजों और पूर्व में सामने आई जानकारी के आधार पर यह दावा किया जाता रहा है कि संबंधित कर्मचारी मूल रूप से मत्स्य विभाग से जुड़े रहे हैं,लेकिन लंबे समय से कलेक्टर कार्यालय में स्टेनोग्राफर के रूप में कार्य करते रहे,यहां सबसे बड़ा सवाल किसी व्यक्ति विशेष पर आरोप लगाने का नहीं,बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था की अवधि और वैधानिक आधार का है,यदि यह प्रतिनियुक्ति है तो इसकी मूल अवधि क्या थी? यदि अवधि समाप्त होने के बाद बढ़ाई गई तो प्रत्येक विस्तार का आदेश कहां है? यदि यह संलग्नीकरण है तो इसे इतने लंबे समय तक जारी रखने का नियम क्या है? यदि कर्मचारी का संविलियन हो चुका है तो उसका आदेश क्या है? और यदि संविलियन नहीं हुआ तो मूल विभाग से अलग इतने लंबे समय तक कार्य करने की अनुमति किस आधार पर बनी रही? इन सवालों का जवाब केवल सरकारी रिकॉर्ड और सक्षम प्राधिकारी के आदेश से ही दिया जा सकता है।

और अब शुरू हुआ 'दूसरा अध्याय'-पुरानी प्रतिनियुक्ति का सवाल अभी खत्म भी नहीं हुआ था कि महिला एवं बाल विकास विभाग सोनहत से जुड़ी नई प्रशासनिक व्यवस्था ने बहस को और तेज कर दिया,सामने आई जानकारी के अनुसार एक माध्यमिक शाला के प्रधान पाठक,जो पहले से एक अन्य प्रशासनिक जिम्मेदारी के लिए प्रतिनियुक्ति पर बताए जा रहे हैं, उन्हें सोनहत महिला एवं बाल विकास विभाग के विकासखंड स्तर के कार्यों की जिम्मेदारी दी गई है,यहीं से सवाल उठता है क्या एक शिक्षक को एक साथ दो अलग-अलग विभागों की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभालने की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि संबंधित विभाग में अधिकारी उपलब्ध नहीं थे? या फिर यह प्रशासनिक सुविधा के आधार पर लिया गया निर्णय है? यदि यह प्रशासनिक आवश्यकता है तो उसके कारण क्या हैं?

'गुरुजी' के पास शिक्षा भी और महिला-बाल विकास की जिम्मेदारी भी?-माध्यमिक शाला के प्रधान पाठक का मूल दायित्व शिक्षा व्यवस्था से जुड़ा है,दूसरी ओर महिला एवं बाल विकास विभाग की विकासखंड स्तरीय परियोजना में आंगनबाड़ी केंद्रों,पोषण कार्यक्रमों,महिला एवं बाल कल्याण योजनाओं तथा विभागीय प्रशासन से जुड़े महत्वपूर्ण कार्य होते हैं,ऐसे में शिक्षक को इस विभाग की जिम्मेदारी दिए जाने से विभागीय विशेषज्ञता और कार्य-विभाजन का सवाल सामने आया है,यहां यह भी स्पष्ट करना जरूरी है कि किसी अधिकारी या कर्मचारी को अतिरिक्त प्रभार दिया जाना अपने आप में नियमविरुद्ध नहीं माना जा सकता,वास्तविक स्थिति यह जानने के बाद ही तय होगी कि संबंधित शिक्षक को किस आदेश के तहत प्रभार दिया गया? प्रभार की अवधि कितनी है? क्या यह केवल प्रशासनिक जिम्मेदारी है? क्या वित्तीय अधिकार भी दिए गए हैं? क्या आहरण एवं संवितरण अधिकारी के अधिकार दिए गए हैं? यदि वित्तीय अधिकार दिए गए हैं तो किस नियम और सक्षम स्वीकृति के तहत? उनकी मूल शैक्षणिक जिम्मेदारी कौन निभाएगा? पहले से चल रही उनकी प्रति नियुक्ति की स्थिति क्या है? यही वे सवाल हैं जिनका उत्तर इस पूरे मामले की वास्तविक तस्वीर सामने ला सकता है।

शिक्षा विभाग के आदेश के बीच शिक्षक की दोहरी जिम्मेदारी पर सवाल-मामले को इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि 9 सितंबर 2026 को स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से प्राचार्यों के नियमित अध्यापन कार्य को लेकर निर्देश जारी किए जाने की बात सामने आई है,एक तरफ शिक्षा विभाग विद्यालयों में शिक्षण व्यवस्था मजबूत करने और शिक्षकों की शैक्षणिक भूमिका सुनिश्चित करने पर जोर दे रहा है,दूसरी ओर यदि किसी शिक्षक/प्रधान पाठक को दूसरे विभाग में विकासखंड स्तरीय प्रशासनिक जिम्मेदारी दी जाती है तो यह सवाल स्वाभाविक है कि उनकी मूल जिम्मेदारी का निर्वहन किस प्रकार होगा, यह विरोधाभास है या प्रशासनिक आवश्यकता– इसका जवाब संबंधित आदेश ही दे सकता है।

सबसे बड़ा सवाल वित्तीय अधिकारों का-महिला एवं बाल विकास विभाग में किसी परियोजना की जिम्मेदारी केवल नाम मात्र का प्रभार नहीं होती,यदि संबंधित व्यक्ति को वित्तीय अधिकार भी दिए गए हैं तो मामला और गंभीर हो जाता है, इसलिए प्रशासन को यह स्पष्ट करना चाहिए कि संबंधित प्रधान पाठक को केवल परियोजना का प्रशासनिक प्रभार दिया गया है या उनके साथ वित्तीय शक्तियां भी जुड़ी हैं,क्योंकि प्रभार और आहरण-संवितरण अधिकार एक ही चीज नहीं हैं,यदि डीडीओ अथवा अन्य वित्तीय अधिकार दिए गए हैं तो उसके लिए सक्षम प्राधिकारी की अनुमति,लागू वित्तीय नियम और आदेश की शर्तें सामने आना जरूरी है।

एक तरफ 25 साल,दूसरी तरफ नई प्रतिनियुक्ति—क्या व्यवस्था की समीक्षा होगी?- कोरिया में दोनों मामलों को लेकर सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर प्रतिनियुक्ति और अतिरिक्त प्रभार की नीति का समान रूप से पालन कैसे हो रहा है? एक कर्मचारी के कलेक्टर कार्यालय में वर्षों तक बने रहने की स्थिति पर सवाल हैं और अब एक अन्य विभाग के शिक्षक को महिला एवं बाल विकास विभाग में जिम्मेदारी दिए जाने पर सवाल उठ रहे हैं,दोनों मामलों की प्रकृति अलग है, लेकिन दोनों में एक साझा प्रश्न है क्या प्रशासनिक पदस्थापना व्यक्ति के अनुसार तय हो रही है या नियम और आवश्यकता के अनुसार? यदि नियम स्पष्ट हैं तो उन्हें सार्वजनिक किया जाए। यदि विशेष परिस्थिति में अपवाद किया गया है तो उसका कारण बताया जाए।

'25 साल पुरानी कुर्सी' के बाद 'दूसरी कुर्सी' की कहानी- कोरिया के इन दोनों मामलों को लेकर अब प्रशासनिक गलियारों में व्यंग्य भी सुनाई दे रहा है कि एक कुर्सी 25 साल से नहीं बदली और अब दूसरी कुर्सी भी नए प्रयोग के साथ चर्चा में आ गई,बेशक यह व्यंग्य है, सरकारी तथ्य नहीं। लेकिन व्यंग्य के पीछे छिपा सवाल गंभीर है–क्या प्रशासनिक व्यवस्था में लंबे समय से चली आ रही व्यवस्थाओं की समय-समय पर समीक्षा होती है? यदि समीक्षा होती है तो 25 साल पुरानी स्टेनो व्यवस्था पर अब तक निर्णायक फैसला क्यों नहीं हुआ? और यदि शिक्षक को महिला एवं बाल विकास विभाग की जिम्मेदारी देना प्रशासनिक आवश्यकता है तो उस आवश्यकता का आधार क्या है?

'सुशासन' की कसौटी पर दोनों मामले- जिला प्रशासन की ओर से पारदर्शिता, जवाबदेही और सुशासन पर जोर दिया जाता है, ऐसे में इन दोनों मामलों को भी उसी कसौटी पर देखा जाना चाहिए,सुशासन का अर्थ केवल नए आदेश जारी करना नहीं है, इसका अर्थ यह भी है कि पुराने आदेशों,प्रतिनियुक्तियों और लंबे समय से चली आ रही व्यवस्थाओं की समीक्षा की जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि नियम सभी के लिए समान रूप से लागू हों,एक कर्मचारी को वर्षों तक एक ही जगह बनाए रखने के पीछे यदि ठोस प्रशासनिक कारण है तो वह रिकॉर्ड पर होना चाहिए,इसी तरह किसी शिक्षक को दूसरे विभाग का प्रभार देने के पीछे प्रशासनिक आवश्यकता है तो वह भी आदेश में स्पष्ट होनी चाहिए।

अब प्रशासन के सामने दो सीधे सवाल-कोरिया प्रशासन के सामने अब दो अलग-अलग लेकिन महत्वपूर्ण सवाल खड़े हैं...

- पहला– कलेक्टर कार्यालय में करीब 25 वर्षों से चली आ रही स्टेनोग्राफर की व्यवस्था का वर्तमान वैधानिक आधार क्या है और क्या 3 अगस्त 2026 के कार्य-पटल परिवर्तन संबंधी शासन निर्देश के बाद इसकी समीक्षा होगी?
- दूसरा–माध्यमिक शाला के प्रधान पाठक को महिला एवं बाल विकास विभाग सोनहत की जिम्मेदारी देने का आधार क्या है और क्या उन्हें वित्तीय/आहरण-संवितरण अधिकार भी प्रदान किए गए हैं? इन दोनों सवालों का जवाब किसी बयान से नहीं,बल्कि आदेश,सेवा अभिलेख और लागू नियमों से मिलना चाहिए।

'आजादी' का सवाल अब प्रशासनिक जवाबदेही का सवाल- 15 अगस्त का संदर्भ अब भले गुजर चुका हो,लेकिन कोरिया कलेक्टरेट की 25 साल पुरानी प्रतिनियुक्ति का सवाल अभी भी कायम है,वहीं महिला एवं बाल विकास विभाग में शिक्षक को जिम्मेदारी देने का नया मामला इस बहस को और आगे ले गया है, एक व्यवस्था 25 साल से चल रही है और दूसरी व्यवस्था अभी शुरू हुई है, पहले मामले में सवाल है–इतने वर्षों बाद समीक्षा कब? दूसरे में सवाल है–शुरुआत ही किस नियम और आवश्यकता के तहत? और दोनों मामलों में जनता का सीधा सवाल है सरकारी व्यवस्था व्यक्ति से बड़ी है या व्यक्ति व्यवस्था से बड़ा हो गया है?

यदि दोनों व्यवस्थाएं नियमसम्मत हैं तो प्रशासन को स्पष्ट दस्तावेजी जवाब देना चाहिए। यदि किसी स्तर पर प्रक्रिया संबंधी कमी है तो उसकी समीक्षा होनी चाहिए,क्योंकि सवाल किसी कर्मचारी के खिलाफ नहीं,उस व्यवस्था के पक्ष में है जिसमें पद,प्रभार,प्रतिनियुक्ति और वित्तीय अधिकार–सब कुछ नियम, पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ तय हो, 25 साल पुरानी 'कुर्सी' और अब शुरू हुई 'नई प्रतिनियुक्ति'–दोनों ही मामलों में अब असली परीक्षा कोरिया प्रशासन की है।

'हर घर मुनगा-घर-घर मुनगा' अभियान का शुभारंभ,कुपोषण और एनीमिया के खिलाफ होगी बड़ी पहल

मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े बोलीं-आंगनबाड़ी केंद्र से लेकर ग्राम पंचायत तक जिम्मेदारी तय, 52,553 केंद्रों के जरिए 7.88 लाख परिवारों को जोड़ा जाएगा

-संवाददाता-

सूरजपुर,13 सितम्बर 2026 (घटती-घटना)।

पारंपरिक तीजा-पोरा तिहार के अवसर पर मुख्यमंत्री निवास परिसर में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व और महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े की उपस्थिति में प्रदेशव्यापी 'हर घर मुनगा-घर-घर मुनगा' अभियान का विधिवत शुभारंभ किया गया,इस अवसर पर अभियान के आधिकारिक लोगो का अनावरण किया गया तथा पोषण जागरूकता के लिए 'सुपोषण रथ' को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया,अभियान का उद्देश्य मुनगा के माध्यम से परिवारों को स्थानीय और पौष्टिक आहार से जोड़ते हुए कुपोषण तथा एनीमिया के खिलाफ जनभागीदारी बढ़ाना है।

कुपोषण के खिलाफ प्राकृतिक पोषण का अभियान- मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि

मुनगा प्रकृति का अनमोल उपहार है, जिसमें आयरन,कैल्शियम,प्रोटीन और विभिन्न विटामिन सहित कई पोषक तत्व पाए जाते हैं। महिलाओं में एनीमिया और बच्चों में कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए मुनगा का नियमित उपयोग प्रभावी जनभागीदारी का माध्यम बन सकता है, उन्होंने कहा कि अभियान के तहत प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्रों, स्कूलों, पोषण वाटिकाओं और ग्रामीण परिवारों की बाड़ियों में मुनगा के पौधे लगाए और वितरित किए जा रहे हैं, इससे विशेष रूप से ग्रामीण एवं वनांचल क्षेत्रों की महिलाओं, किशोरी बालिकाओं और बच्चों को अपने घर की बाड़ी से पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने की दिशा में मदद मिलेगी, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने भी प्रदेशवासियों से अपने घरों और आसपास मुनगा लगाने तथा इसके पोषण गुणों को जन-जन तक पहुंचाने का आह्वान किया।

प्रशासनिक स्तर पर जिम्मेदारी तय- अभियान को केवल पौधरोपण तक सीमित नहीं रखने के लिए प्रशासनिक स्तर पर जिम्मेदारियां निर्धारित की गई हैं, राज्य स्तर पर विभागीय नेतृत्व के साथ जिला स्तर पर कलेक्टर तथा विकासखंड स्तर पर एसडीएम की अध्यक्षता में अंतर-विभागीय समन्वय की व्यवस्था की गई है, इसके साथ ही जिला कार्यक्रम अधिकारी, परियोजना अधिकारी, पर्यवेक्षक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं तक की जिम्मेदारी तय की गई है। ग्राम पंचायत स्तर पर भी अभियान को जनभागीदारी से जोड़ने पर जोर दिया गया है।

52,553 आंगनबाड़ी केंद्रों से 7.88 लाख परिवार जुड़ेंगे-अभियान के तहत प्रदेश के 52,553 आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से लगभग 7.88 लाख परिवारों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है,प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र के क्षेत्र में मुनगा के 15 पौधे लगाने और उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी तय किए जाने की जानकारी दी गई है,पौधों के जीवित रहने,क्षति होने तथा आवश्यकता पड़ने पर पुनः रोपण की स्थिति की निगरानी के लिए डिजिटल डैशबोर्ड तैयार किए जाने की बात कही गई है,इसके माध्यम से अभियान की प्रगति की नियमित समीक्षा की जाएगी और मैदानी अमले की कार्यप्रगति का मूल्यांकन किया जा सकेगा।

'सुपोषण रथ' से बढ़ेगी जागरूकता- अभियान के साथ प्रदेश में राष्ट्रीय पोषण माह 2026 की गतिविधियों की शुरुआत भी की गई, मुख्यमंत्री ने पोषण माह के पोस्टर का विमोचन किया और उपस्थित महिलाओं को सुपोषण की शपथ दिलाई,इस दौरान 'सुपोषण रथ' के माध्यम से लोगों को पोषण और मुनगा के उपयोग के प्रति जागरूक किया जाएगा।

छह योजनाओं के रोडमैप में पहली बड़ी पहल- महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से इसे विभागीय स्तर पर तैयार किए गए छह जनकल्याणकारी पहलों के रोडमैप की महत्वपूर्ण शुरुआत के रूप में प्रस्तुत किया गया है,मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने कहा कि सरकार केवल घोषणाओं तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि योजनाओं का प्रभाव जमीन पर दिखाई देना चाहिए,विभाग की टीम शेष पांच योजनाओं के ड्राफ्ट और धरातलीय मॉडल को अंतिम रूप देने में जुटी है, आने वाले समय में महिला सशक्तिकरण,बाल देखरेख और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी इन योजनाओं को चरणबद्ध तरीके से लागू करने की बात कही गई है।

सप्ताह में तीन बार भोजन में शामिल करने की अपील-मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने प्रदेशवासियों से तीजा-पोरा के अवसर पर अपने घर की बाड़ी में मुनगा का पौधा लगाने और उसकी नियमित देखभाल करने का संकल्प लेने का आह्वान किया, उन्होंने परिवारों से सप्ताह में कम से कम तीन बार मुनगा फल, मुनगा भाजी और मुनगा फूल को भोजन में शामिल करने की अपील की, उन्होंने कहा कि जनभागीदारी से चलने वाला यह अभियान तभी सफल होगा, जब पौधे लगाने के साथ उनकी देखभाल भी की जाए और मुनगा को परिवार के नियमित भोजन का हिस्सा बनाया जाए। मुख्यमंत्री ने भी घरों और आसपास मुनगा लगाने को सुपोषित छत्तीसगढ़ के संकल्प से जोड़ते हुए प्रदेशवासियों से सक्रिय भागीदारी की अपील की है।

CMYK

राष्ट्रीय लोक अदालत में 23,581 प्रकरणों का निराकरण

2.19 करोड़ रुपये का सेटलमेंट

एक दिन में हजारों विवादों का समाधान

मुख्य आंकड़े

कुल प्रकरण रखे गए	28,849
निराकरण	23,581
कुल सेटलमेंट राशि	₹ 2,19,59,937
लंबित प्रकरण	3,691
निराकरण (लंबित)	3,313
सेटलमेंट राशि (लंबित)	₹ 1,56,38,419
प्री-लिटिगेशन प्रकरण	25,158
निराकरण (प्री-लिटिगेशन)	20,268
राजस्य प्रकरणों का निराकरण	20,203

बैकुंठपुर और मनेंद्रगढ़ में 18 खंडपीठों ने की सुनवाई

न्यायालयीन प्रकरणों का निपटारा | बैंक, नगरपालिका, टेलीफोन व राजस्य मामलों का समाधान | आपसी सहमति से न्याय, सबके लिए राहत

विवाद नहीं, समाधान का मंच – लोक अदालत

लोक अदालत बनी विवाद समाधान का मंच

23 हजार से अधिक प्रकरणों का निपटारा

12 सितंबर 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन देशभर में निर्धारित कार्यक्रम के तहत हुआ था...

3,691 लंबित मामलों में 3,313 का निराकरण, 25,158 प्री-लिटिगेशन मामलों में भी बड़ी कार्रवाई...

न्यायालय पहुंचने से पहले ही सुलझे हजारों विवाद, 20,268 प्री-लिटिगेशन मामलों का निपटारा

-रवि सिंह-

बैकुंठपुर/कोरिया,13 सितम्बर 2026 (घटती-घटना)।

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार शनिवार को 12 सितंबर 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, कोरिया जिले के बैकुंठपुर तथा मनेंद्रगढ़ में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में बड़ी संख्या में लंबित एवं प्री-लिटिगेशन प्रकरणों का आपसी सहमति और राजीनामा के माध्यम से निराकरण किया गया,जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,कोरिया द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए बैकुंठपुर एवं मनेंद्रगढ़ में कुल 18 खंडपीठों का गठन किया गया था, न्यायालयों में लंबित मामलों के साथ-साथ बैंक, नगरपालिका, टेलीफोन तथा राजस्व विभाग से संबंधित प्री-लिटिगेशन मामलों को भी लोक अदालत में रखा गया। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार शनिवार को बैकुंठपुर और मनेंद्रगढ़ में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरिया के अध्यक्ष योगेश पारीक के मार्गदर्शन में आयोजित लोक अदालत में बड़ी संख्या में न्यायालयीन एवं प्री-लिटिगेशन प्रकरणों का आपसी सहमति और राजीनामा के माध्यम से निराकरण किया गया, जिस में कोरिया और एमसीबी जिले में 12 सितंबर 2026 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में 28,849 प्रकरण रखे गए, इनमें से 23,581 मामलों का राजीनामा के माध्यम से निराकरण किया गया और कुल 2,19,59,937 की सेटलमेंट राशि

28,849 प्रकरण लोक अदालत में रखे गए...

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार इस राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 28,849 प्रकरण रखे गए थे,इनमें न्यायालयों में लंबित प्रकरणों के साथ प्री-लिटिगेशन प्रकरण भी शामिल थे,इनमें से 23,581 प्रकरणों का निराकरण किया गया, इस प्रकार बड़ी संख्या में मामलों का निपटारा पक्षकारों की सहमति और राजीनामा के आधार पर किया गया, निस्तारित प्रकरणों से संबंधित समझौते के आधार पर कुल 2,19,59,937 की सेटलमेंट राशि का उल्लेख किया गया है।

लंबित 3,691 प्रकरणों में से 3,313 का निराकरण

राष्ट्रीय लोक अदालत में न्यायालयों में लंबित मामलों का भी व्यापक स्तर पर निराकरण किया गया, प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार कुल 3,691 लंबित प्रकरण राजीनामा के लिए रखे गए थे। इनमें से 3,313 प्रकरणों का निराकरण किया गया,इन मामलों में राजीनामा के माध्यम से लगभग 1,56,38,419 की सेटलमेंट राशि का उल्लेख किया गया है,इससे स्पष्ट है कि लोक अदालत में केवल प्रकरणों की संख्या कम करने पर ही जोर नहीं रहा,बल्कि पक्षकारों के बीच आपसी सहमति से वित्तीय विवादों का समाधान कराने का भी प्रयास किया गया।

दर्ज की गई,न्यायालयों में लंबित 3,691 मामलों में से 3,313 का निपटारा हुआ, जबकि बैंक, नगरपालिका, टेलीफोन एवं राजस्व विभाग से संबंधित 25,158 प्री-लिटिगेशन मामलों में से 20,268 का निराकरण किया गया। बैकुंठपुर और मनेंद्रगढ़ में कुल 18 खंडपीठों के माध्यम से लोक अदालत की कार्यवाही संचालित की गई।

प्री-लिटिगेशन के 25,158 प्रकरण रखे गए- राष्ट्रीय लोक अदालत में ऐसे मामलों को भी शामिल किया गया जो अभी नियमित न्यायालय में मुकदमे के रूप में लंबित नहीं थे, लेकिन विवाद या भुगतान संबंधी स्थिति के कारण उन्हें समझौते के लिए लोक अदालत के समक्ष रखा गया, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की विज्ञप्ति में बैंक,नगरपालिका, टेलीफोन और राजस्व विभाग से संबंधित कुल 25,158 प्री-लिटिगेशन प्रकरण रखे जाने का उल्लेख है, इनमें से 20,268 प्रकरणों का निराकरण किया गया, इस तरह प्री-लिटिगेशन मामलों में भी बड़ी संख्या में पक्षकारों को न्यायालयीन प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही समझौते के माध्यम से विवाद समाप्त करने का अवसर मिला।

राजस्व से जुड़े 20,203 प्रकरणों का भी निराकरण- राष्ट्रीय लोक अदालत में राजस्व विभाग से संबंधित मामलों का भी व्यापक स्तर पर निराकरण किया गया, प्रेस विज्ञप्ति में कोरिया और एमसीबी जिलों से संबंधित कुल 20,203 राजस्व प्रकरणों के निराकरण का उल्लेख किया गया है, राजस्व संबंधी विवादों में आपसी सहमति से समाधान होने से पक्षकारों को लंबे समय तक चलने वाली प्रक्रिया से राहत मिलने की उम्मीद रहती है, लोक अदालत के माध्यम से ऐसे मामलों में समझौते की संभावना होने पर पक्षकारों को एक ही मंच पर समाधान का अवसर मिलता है।

बैकुंठपुर और मनेंद्रगढ़ में 18 खंडपीठों का गठन-राष्ट्रीय लोक अदालत को प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए बैकुंठपुर और मनेंद्रगढ़ न्यायालयों के लिए कुल 18 खंडपीठों का गठन किया गया था,इन खंडपीठों के माध्यम से अलग-अलग प्रकृति के मामलों की सुनवाई की गई और पक्षकारों के बीच समझौते की संभावनाओं के आधार पर मामलों का निराकरण किया गया,एक ही दिन बड़ी संख्या में मामलों को सुनवाई के लिए लेकर उनका निस्तारण किए जाने से लोक अदालत के आयोजन का उद्देश्य भी सामने आया-लंबित विवादों का त्वरित एवं सहमति आधारित समाधान।

एक ही दिन में हजारों मामलों का समाधान- राष्ट्रीय लोक अदालत की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि यह रही कि न्यायालय में लंबित मामलों और प्री-लिटिगेशन मामलों को मिलाकर 23,581 मामलों का निराकरण किया गया, इसका अर्थ यह है कि हजारों पक्षकारों को अपने विवादों के समाधान के लिए लंबे समय तक चलने वाली न्यायिक प्रक्रिया का इंतजार नहीं करना पड़ा, राजीनामा के माध्यम से विवाद समाप्त होने से पक्षकारों के बीच आपसी संबंधों को बनाए रखने और विवाद को आगे बढ़ने से रोकने का अवसर भी मिलता है।

आंकड़ों में राष्ट्रीय लोक अदालत

विवरण	आंकड़ा
कुल खंडपीठ	18
कुल प्रकरण रखे गए	28,849
कुल प्रकरणों का निराकरण	23,581
लंबित न्यायालयीन प्रकरण	3,691
लंबित प्रकरणों का निराकरण	3,313
लंबित मामलों की सेटलमेंट राशि	₹1,56,38,419
प्री-लिटिगेशन प्रकरण	25,158
प्री-लिटिगेशन मामलों का निराकरण	20,268
कुल सेटलमेंट राशि	₹2,19,59,937
राजस्व प्रकरणों का निराकरण	20,203

उपरोक्त आंकड़े जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,कोरिया की 12 सितंबर 2026 की प्रेस विज्ञप्ति में दिए गए विवरण पर आधारित हैं...

राजीनामा के माध्यम से विवादों का समाधान- राष्ट्रीय लोक अदालत का मूल उद्देश्य पक्षकारों को आपसी सहमति के आधार पर विवाद समाप्त करने का अवसर देना है, इस प्रक्रिया में दोनों पक्ष अपनी सहमति से समाधान तक पहुंचते हैं, जिससे लंबे समय तक चलने वाले विवादों को समाप्त करने का रास्ता खुलता है, कोरिया और एमसीबी जिले में आयोजित इस लोक अदालत के आंकड़े बताते हैं कि बड़ी संख्या में पक्षकारों ने समझौते के माध्यम से अपने मामलों को समाप्त करने का विकल्प अपनाया,विशेष रूप से बैंक, नगरपालिका, टेलीफोन और राजस्व से जुड़े प्री-लिटिगेशन मामलों का बड़ी संख्या में निराकरण होना इस आयोजन की महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा सकता है।

न्यायालय जाने से पहले समाधान का अवसर- प्री-लिटिगेशन मामलों के निराकरण का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि विवाद के नियमित न्यायालय में पहुंचने से पहले ही दोनों पक्षों को समाधान का अवसर मिल जाता है, बैंक से जुड़े भुगतान विवाद, नगरपालिका से जुड़े मामले,टेलीफोन या अन्य विभागीय बकाया तथा राजस्व संबंधी मामलों में यदि पक्षकार आपसी सहमति पर पहुंचते हैं तो विवाद को आगे बढ़ने से रोका जा सकता है, इससे पक्षकारों के समय और संसाधनों की बचत के साथ न्यायिक संस्थानों पर लंबित मामलों का बोझ कम करने में भी मदद मिलती है।

2.19 करोड़ रुपये से अधिक की सेटलमेंट- राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारित मामलों के माध्यम से कुल 2,19,59,937, यानी करीब 2.20 करोड़ की सेटलमेंट राशि दर्ज की गई है, वहीं न्यायालयों में लंबित मामलों में से निस्तारित 3,313 मामलों के लिए 1,56,38,419 की सेटलमेंट राशि दर्ज है, इन आंकड़ों से यह भी स्पष्ट होता है कि लोक अदालत केवल छोटे-मोटे विवादों के समाधान तक सीमित नहीं रही, बल्कि वित्तीय एवं राजस्व से जुड़े मामलों में भी बड़ी राशि के विवादों को समझौते के माध्यम से समाप्त करने का मंच बनी।

लोक अदालत से पक्षकारों को राहत- एक मामले को नियमित न्यायालयीन प्रक्रिया में आगे बढ़ाने में समय लग सकता है,तारीखों और सुनवाई की प्रक्रिया के बीच विवाद लंबे समय तक चल सकते हैं,ऐसे मामलों में जहां दोनों पक्ष समझौते के लिए तैयार हों, लोक अदालत उनके लिए वैकल्पिक समाधान का रास्ता उपलब्ध कराती है,कोरिया और एमसीबी जिले में राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान हजारों मामलों का निपटारा होना इसी वैकल्पिक व्यवस्था की उपयोगिता को दर्शाता है।

एक दिन, 23 हजार से अधिक मामलों का निपटारा-राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन की सबसे बड़ी उपलब्धि के रूप में 23,581 प्रकरणों का निराकरण सामने आया है, 28,849 प्रकरणों में से 23,581 मामलों का निपटारा होने का अर्थ है कि लोक अदालत के समक्ष रखे गए मामलों का बड़ा हिस्सा एक ही दिन में समझौते के माध्यम से समाप्त किया गया,जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में इसी उपलब्धि को प्रमुखता से रेखांकित किया गया है।

खड़गवां पीडीएस में बड़ा सवाल : महिला समूह के नाम दुकान, संचालन किसी और के हाथ में?

हितग्राहियों का आरोप-कई दुकानों पर समूह की महिलाएं नहीं रहतीं मौजूद,निर्धारित समय पर दुकान नहीं खुलने की भी शिकायत; खाद्य विभाग की निगरानी पर उठे सवाल

-संवाददाता-

खड़गवां,13 सितम्बर 2026 (घटती-घटना)।

विकासखंड खड़गवां में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) की उचित मूल्य दुकानों के संचालन को लेकर गंभीर सवाल सामने आ रहे हैं,आरोप है कि शासन की मंशा के तहत जिन दुकानों का संचालन महिला स्व-सहायता समूहों को सौंपा गया है,उनमें से कुछ दुकानों का वास्तविक संचालन समूह की महिलाओं के बजाय अन्य व्यक्तियों द्वारा किया जा रहा है,हालांकि इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है,लेकिन यदि ऐसा हो रहा है तो यह महिला समूहों को पीडीएस संचालन से जोड़ने की मूल व्यवस्था और खाद्य विभाग की निगरानी दोनों पर गंभीर सवाल खड़े करता है। छत्तीसगढ़ के खाद्य विभाग के ऑनलाइन रिकॉर्ड में भी उचित मूल्य दुकानों के संचालन में महिला स्व-सहायता समूहों को संचालन एजेंसी के रूप में दर्ज किया जाता है,ऐसे में खड़गवां क्षेत्र में यह सत्यापन जरूरी हो जाता है कि कागजों में दर्ज संचालन एजेंसी और मौके पर दुकान चलाने वाले व्यक्ति वास्तव में एक ही हैं या नहीं।

महिला समूह के नाम पर दुकान, संचालन किसी और का क्यों?- स्थानीय हितग्राहियों के अनुसार कुछ दुकानों में राशन वितरण के समय समूह की महिलाएं स्वयं मौजूद नहीं रहतीं, आरोप है कि दुकान पर कोई अन्य व्यक्ति राशन वितरण करता है और ई-पॉस मशीन से लेकर स्टॉक एवं वितरण की प्रक्रिया भी वही संभालता है,यहीं से सबसे बड़ा सवाल उठता है कि यदि दुकान महिला स्व-सहायता समूह के नाम पर आवंटित है तो उसका वास्तविक संचालन किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किस आधार पर किया जा रहा है? क्या खाद्य विभाग को इसकी जानकारी है? यदि जानकारी है तो क्या इसके लिए विभागीय अनुमति ली गई है? विभागीय रिकॉर्ड में संचालन एजेंसी और सेल्समैन की जानकारी अलग-अलग दर्ज किए जाने की व्यवस्था भी दिखाई देती है, इसलिए जांच के दौरान यह स्पष्ट किया जाना जरूरी है कि संबंधित दुकानों में वास्तविक विक्रेता कौन है और उसे किस आधार पर अधिकृत किया गया है।

न तय समय,न नियमित संचालन का आरोप- हितग्राहियों का

आरोप है कि कुछ उचित मूल्य दुकानों के खुलने और बंद होने का कोई स्पष्ट नियमित समय नजर नहीं आता, कहीं दुकान देर से खुलने की शिकायत है तो कहीं हितग्राहियों को राशन के लिए लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है, यदि दुकान निर्धारित समय पर नहीं खुल रही है तो यह भी जांच का विषय है कि खाद्य निरीक्षक द्वारा किए जाने वाले निरीक्षण में इसकी जानकारी दर्ज की गई या नहीं, विभाग स्वयं उचित मूल्य दुकानों में खाद्यान्न वितरण की निगरानी और निरीक्षण की व्यवस्था होने की बात दर्ज करता है।

पूर्व की गड़बड़ियों के बावजूद व्यवस्था पर सवाल-मामले की गंभीरता इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि क्षेत्र में पूर्व में खाद्यान्न एवं राशन वितरण से संबंधित अनियमितताओं के मामले सामने आने की बात कही जा रही है, ऐसे में यदि वर्तमान में भी किसी दुकान का वास्तविक संचालन कागजों में दर्ज एजेंसी से अलग व्यक्ति कर रहा है तो विभाग को इसकी तत्काल जांच करनी चाहिए,हालांकि पूर्व में सामने आए किसी विशेष मामले को वर्तमान दुकानों की अनियमितता का प्रमाण नहीं माना जा सकता,लेकिन ऐसी शिकायतों की पृष्ठभूमि में नियमित और मौके पर जाकर निरीक्षण की आवश्यकता जरूर बढ़ जाती है।

फूड इंस्पेक्टर की भूमिका पर उठ रहे सवाल-पीडीएस दुकानों की निगरानी के लिए खाद्य विभाग के अधिकारी और निरीक्षक जिम्मेदार होते हैं, इसलिए सवाल उठ रहा है कि यदि संबंधित दुकानों का नियमित निरीक्षण किया जा रहा है तो निरीक्षण के दौरान यह क्यों नहीं जांचा जाता कि दुकान का संचालन वास्तव में कौन कर रहा है? निरीक्षण में मुख्य रूप से यह देखा जाना चाहिए कि दुकान पर अधिकृत संचालक या विक्रेता कौन मौजूद है? महिला स्व-सहायता समूह की सदस्य स्वयं संचालन कर रही हैं या नहीं? दुकान निर्धारित समय पर खुल रही है या नहीं? ई-पॉस मशीन किस व्यक्ति द्वारा संचालित की जा रही है? स्टॉक रजिस्टर में दर्ज खाद्यान्न और मौके का भौतिक स्टॉक समान है या नहीं? हितग्राहियों को निर्धारित मात्रा में राशन मिल रहा है या नहीं? वितरण रजिस्टर और ई-पॉस मशीन के रिकॉर्ड में अंतर तो नहीं है? इन बिंदुओं की जांच से ही वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकती है।

महिला समूहों को सशक्त करने की योजना कहीं कागजों तक तो नहीं?-महिला स्व-सहायता समूहों को उचित मूल्य दुकानों का संचालन सौंपने के पीछे आर्थिक और सामाजिक सशक्तीकरण की मंशा है, लेकिन यदि समूह के नाम पर दुकान आवंटित हो और वास्तविक संचालन किसी अन्य व्यक्ति के हाथ में हो तो योजना के उद्देश्य पर ही सवाल खड़ा होता है,ऐसे मामलों में यह भी जांच जरूरी है कि संबंधित समूह की बैठकें नियमित होती हैं या नहीं,दुकान संचालन से होने वाली आय का हिसाब समूह के खाते में जाता है या नहीं और समूह की महिलाओं की वास्तविक भूमिका क्या है।

औचक जांच से खुल सकती है वास्तविक स्थिति-ग्रामीणों और हितग्राहियों की मांग है कि खड़गवां विकासखंड की उचित मूल्य दुकानों का औचक भौतिक निरीक्षण कराया जाए, केवल कार्यालय में दस्तावेजों की जांच के बजाय अधिकारियों को मौके पर जाकर दुकान की स्थिति,स्टॉक,ई-पॉस मशीन,वितरण रजिस्टर और वास्तविक संचालक का सत्यापन करना चाहिए, खाद्य विभाग की ऑनलाइन व्यवस्था में उचित मूल्य दुकानों और राशन वितरण से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने की व्यवस्था है तथा शिकायत दर्ज कराने के लिए विभाग ने 1800-233-3663 हेल्पलाइन भी जारी की है, अब सवाल यही है कि क्या खड़गवां की पीडीएस दुकानों की निष्पक्ष और औचक जांच होगी? क्या यह पता लगाया जाएगा कि महिला समूह के नाम पर आवंटित दुकानों का वास्तविक संचालन कौन कर रहा है? और यदि शिकायत सही पाई जाती है तो जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होगी? फिलहाल आरोपों की स्वतंत्र प्रशासनिक पुष्टि बाकी है, लेकिन शिकायतों ने पीडीएस व्यवस्था में पारदर्शिता, महिला समूहों की वास्तविक भूमिका और खाद्य विभाग की निगरानी को लेकर सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं।

CMYK

खाद्य सुरक्षा विभाग में 2019 का 'नियमों का खेल'!

पहले राज्य ने बदला नियम, फिर केंन्द्र ने किया संशोधन, फिर छत्तीसगढ़ ने दोबारा बदल दी व्यवस्था

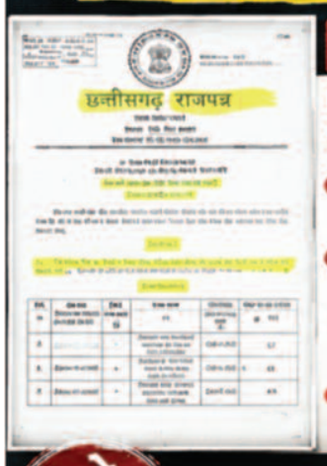

2019

10 जुलाई 2019
छत्तीसगढ़ राजपत्र

- Food Safety Officer की योग्यता में प्रावधान
- चपरासी → नमूना सहायक → 10 वर्ष बाद Food Safety Officer बनने का पदोनति मार्ग
- अनुसूची-III और अनुसूची-IV में प्रावधान

2023

16 जनवरी 2023
भारत सरकार का राजपत्र

- Food Safety and Standards (First Amendment) Rules, 2022
- धारा 91 के तहत संशोधन
- Rule 2.1.3 में योग्यता परिवर्तित
- Bachelor / Master / Doctorate degree का प्रावधान

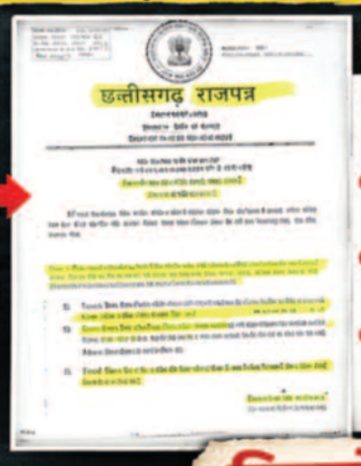

2025

26 नवंबर 2025
छत्तीसगढ़ राजपत्र

- भर्ती नियम 2011 में संशोधन
- Food Safety Officer की योग्यता में बदलाव
- केंद्र के संशोधन के बाद राज्य ने फिर किया संशोधन

बड़े सवाल

- 2019 में संशोधन किस आधार पर ?
- केंन्द्र से अनुमोदन लिया गया था ?
- 2021 में हुई पदोन्नतियां वैध थीं ?
- क्या पदोन्नति पाने वालों के पास निर्धारित शैक्षणिक योग्यता थी ?
- DPC में कौन-कौन था ?
- फाइल नोटशीट और अनुमोदन कहां है ?

नियमों का मकसद जनता की सुरक्षा था... या कुछ लोगों की तरक्की ?

जांच कब ?

2019 के नियम पर सवाल, 2021 की पदोन्नतियां जांच के घेरे में-किसने बनाई 'तरक्की की सीढ़ी'?

चपरासी से Food Safety Officer तक का रास्ता

2023 में केंद्र का संशोधन सामने आया तो 2019 में छत्तीसगढ़ ने किस आधार पर बदला नियम? पदोन्नति के रास्ते से किसे मिला लाभ,अब जांच की मांग...

खाद्य सुरक्षा विभाग में 2019 का 'नियमों का खेल'! 2023 में केंद्र ने बदला नियम,2025 में छत्तीसगढ़ ने फिर किया संशोधन...

2015 के बाद 11 साल तक खाद्य सुरक्षा अधिकारी की सीधी भर्ती क्यों बंद? 2019 के भर्ती संशोधन पर भी उठे बड़े सवाल...

व्यापमं का रास्ता बंद,पदोन्नति की सीढ़ी चालू! 11 साल की 'भर्ती छुट्टी' और 2019 के नियम पर बड़ा सवाल...

2019 के छत्तीसगढ़ राजपत्र में खाद्य सुरक्षा अधिकारी की योग्यता और पदोन्नति का प्रावधान

2023 में केंद्र ने किया पहला संशोधन,2025 में छत्तीसगढ़ ने फिर बदले नियम– अब 2019 के प्रावधानों की वैधानिकता और उससे हुई नियुक्तियों की जांच की मांग...

क्या स्थापना शाखा ने नियमों की निगरानी की?

भर्ती नियमों में संशोधन कोई कार्यालयीन नोटिंग की मामूली प्रक्रिया नहीं है,यह तय करता है कि सरकारी सेवा में कौन व्यक्ति किस पद तक पहुंच सकता है, ऐसे में यदि नियमों में कोई विसंगति है तो उसका प्रभाव वर्षों तक चलता है,और यदि किसी पद के लिए योग्यता का रास्ता बदलता है तो उसका लाभ लेने वाले प्रत्येक कर्मचारी की पात्रता का परीक्षण होना चाहिए, इसीलिए स्थापना शाखा की भूमिका इस पूरे मामले में महत्वपूर्ण हो जाती है,किसके कार्यकाल में प्रस्ताव चला? किसने नियम का मसौदा तैयार किया? किसने उसे अनुमोदित किया? किस आधार पर पदोन्नति की पात्रता तय हुई? किसने डीपीसी को रिकॉर्ड उपलब्ध कराया? और यदि कहीं कोई आपत्ति आई थी तो उसका निराकरण किस प्रकार किया गया? इन सवालों को दबाने से मामला खत्म नहीं होगा।

-न्यूज डेस्क-

रायपुर,13 सितम्बर 2026 (घटती-घटना)।

खाद्य एवं औषधि प्रशासन ऐसा विभाग है जिसकी जिम्मेदारी सीधे आम आदमी की थाली, दवा और स्वास्थ्य से जुड़ी है, लेकिन इसी विभाग में खाद्य सुरक्षा अधिकारी की भर्ती, योग्यता और पदोन्नति के रास्ते को लेकर सामने आए सरकारी दस्तावेज अब विभाग की स्थापना व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। मामला किसी सामान्य पदोन्नति का नहीं है, मामला उस पद का है जिसके कंधों पर खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता,नमूना कार्रवाई,निरीक्षण और खाद्य सुरक्षा कानून के क्रियान्वयन जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां होती हैं,ऐसे पद पर नियुक्ति की योग्यता अगर नियमों के अनुसार तय होती है तो उसमें मामूली भी हेरफेर पूरे तंत्र की विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा कर सकता है,इस पूरे प्रकरण में तीन तारीखें बेहद महत्वपूर्ण दिखाई देती हैं–10 जुलाई 2019,16 जनवरी 2023 और 26 नवंबर 2025, इन तीनों दस्तावेजों को सामने रखकर अब सीधा सवाल है की 2019 में छत्तीसगढ़ ने ऐसा क्या बदला था, जिसका स्पष्ट केंद्रीय नियम संशोधन 2023 में सामने आया?

2013 और 2015 में भर्ती, फिर 11 साल तक 'भर्ती सूखा'...सिर्फ पदोन्नति का रास्ता खुला?- खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पदों पर भर्ती की प्रक्रिया को लेकर एक और गंभीर सवाल सामने आता है,उपलब्ध तथ्यों के अनुसार 2012 में भर्ती नियम बनाए जाने के बाद 2013 में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के लगभग 55 पदों व 2015 में व्यापमं के माध्यम से खाद्य सुरक्षा अधिकारी के लगभग 66 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया और भर्ती प्रक्रिया वर्ष 2013 व 2015 दो चरणों में आगे बढ़ी,इसके बाद करीब 11 वर्षों तक व्यापमं अथवा पीएससी के माध्यम से खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर नियमित सीधी भर्ती के लिए कोई नया विज्ञापन सामने नहीं आया, जबकि इस अवधि में पदोन्नति का रास्ता चलता रहा,यानी सीधी भर्ती के दरवाजे पर जैसे ताला लगा रहा और विभागीय पदोन्नति की सीढ़ी लगातार खुली रही,सवाल यह है कि क्या इतने लंबे अंतराल में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पदों पर भर्ती की आवश्यकता ही नहीं पड़ी,या फिर रिक्तियों को भरने के लिए विभाग ने सीधी भर्ती के बजाय पदोन्नति को ही प्राथमिक रास्ता बना लिया? इससे भी बड़ा सवाल शैक्षणिक योग्यता को लेकर है, खाद्य सुरक्षा अधिकारी जैसे तकनीकी पद के लिए रसायन शास्त्र जैसे विषय में निर्धारित उच्च शैक्षणिक योग्यता का प्रावधान होने के बावजूद यदि लंबे समय तक सीधी भर्ती नहीं हुई और विभागीय पदोन्नति के माध्यम से पद भरे जाते रहे, तो प्रत्येक पदोन्नति की पात्रता और योग्यता की जांच जरूरी हो जाती है।

11 साल में भर्ती नहीं तो सवाल और बड़ा

2015 के बाद लंबे समय तक सीधी भर्ती नहीं होने और इसी बीच पदोन्नति से पद भरने की स्थिति पर भी विभाग को जवाब देना चाहिए,क्या पद रिक्त नहीं थे? यदि रिक्त थे तो भर्ती क्यों नहीं हुई? यदि भर्ती की जरूरत थी तो व्यापमं अथवा पीएससी के माध्यम से विज्ञापन क्यों नहीं निकला? और यदि पदोन्नति से ही पद भरने थे तो पदोन्नत कर्मचारियों की शैक्षणिक योग्यता और पात्रता का सत्यापन किस स्तर पर किया गया? यही वह जगह है जहां विभागीय व्यवस्था को अपने ही दस्तावेजों के सामने खड़ा होना पड़ेगा,नियम अगर साफ हैं तो जवाब भी साफ होना चाहिए,और अगर नियमों के रास्ते में कहीं कोई 'शॉर्टकट' लिया गया है, तो उसकी जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए,क्योंकि खाद्य सुरक्षा अधिकारी की कुर्सी कोई सामान्य कुर्सी नहीं है...यह जनता की थाली की सुरक्षा से जुड़ी कुर्सी है,उस कुर्सी तक पहुंचने का रास्ता अगर नियमों से बना है तो पूरा नक्शा सार्वजनिक होना चाहिए, और अगर नक्शे में कहीं गुप्त दरवाजा बनाया गया था तो उसे भी खोलना होगा।

2019 का संशोधन सबसे बड़ा सवाल- मामले का सबसे पेचीदा हिस्सा वर्ष 2019 में छत्तीसगढ़ के भर्ती नियमों में किया गया संशोधन है,क्योंकि उपलब्ध केंद्रीय दस्तावेजों के अनुसार खाद्य सुरक्षा और मानक नियम, 2011 में खाद्य सुरक्षा अधिकारी से संबंधित पहला संशोधन 2022 के पहले संशोधन नियम,जिसे 16 जनवरी 2023 को भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित किया गया, के माध्यम से हुआ,तो फिर सवाल सीधा है जब केंद्र सरकार के स्तर पर संबंधित नियम में पहला संशोधन 2022 का बताया गया और उसका राजपत्र प्रकाशन जनवरी 2023 में हुआ,तब छत्तीसगढ़ में 2019 में खाद्य सुरक्षा अधिकारी से संबंधित भर्ती नियमों में संशोधन आखिर किस केंद्रीय नियम,अधिसूचना या वैधानिक आधार पर किया गया था? क्या 2019 का संशोधन केंद्र के उस समय लागू किसी अन्य प्रावधान के आधार पर था? क्या राज्य शासन ने केंद्र से आवश्यक अनुमोदन लिया था? क्या संबंधित फाइल में केंद्रीय अधिनियम और नियमों का स्पष्ट हवाला दिया गया था? और यदि सब कुछ नियमसम्मत था तो 2019 के संशोधन की पूरी नोटशीट, विधिक परीक्षण और अनुमोदन प्रक्रिया सामने आने में आखिर परेशानी क्या है?

'गलत जानकारी' देकर नियम बदलने का आरोप...जांच में खुले सच- विभागीय स्तर पर यह आरोप भी लगाया जा रहा है कि कहीं उच्चाधिकारियों अथवा सक्षम प्राधिकारी को अपूर्ण अथवा गलत जानकारी प्रस्तुत कर 2019 का संशोधन तो नहीं कराया गया? फिलहाल यह एक आरोप है और इसकी पुष्टि स्वतंत्र जांच के बिना नहीं की जा सकती, लेकिन यदि ऐसा कोई आरोप सामने आया है तो इसकी जांच बेहद गंभीरता से होनी चाहिए। खासकर यह पता लगाना जरूरी है कि 2019 के संशोधन का प्रस्ताव किसने तैयार किया, किस अधिकारी ने नियमों की व्याख्या की, किस स्तर पर फाइल चली,किसने अनुमोदन दिया और किस आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर पदोन्नति का रास्ता खोला गया,क्योंकि यहां मामला सिर्फ एक भर्ती नियम का नहीं है,इस संशोधन के आधार पर यदि वर्षों तक पदोन्नतियां हुईं और लोगों को खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनाया गया, तो उस पूरे तंत्र की वैधानिकता स्वतः जांच के दायरे में आती है।

2015 में सीधी भर्ती के समय योग्यता थी स्पष्ट-उपलब्ध विभागीय दस्तावेजों में 2015 का भर्ती विज्ञापन भी मौजूद है,खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने उस समय खाद्य सुरक्षा अधिकारी के 71 पदों के लिए भर्ती विज्ञापन जारी किया था, विज्ञापन में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता में खाद्य प्रौद्योगिकी,डेयरी प्रौद्योगिकी,जैव प्रौद्योगिकी,कृषि विज्ञान,पशु चिकित्सा विज्ञान,जैव-रसायन,सूक्ष्म जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान जैसे विषयों में निर्धारित डिग्री का उल्लेख किया गया था, अर्थात सीधी भर्ती के समय विभाग स्वयं यह स्पष्ट कर रहा था कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी कोई सामान्य प्रशासनिक पद नहीं है,इसके लिए निर्धारित विषय में निर्धारित शैक्षणिक योग्यता आवश्यक है,यहीं से आगे की कहानी महत्वपूर्ण हो जाती है।

10 जुलाई 2019 : राजपत्र में आया नया रास्ता-10 जुलाई 2019 के छत्तीसगढ़ राजपत्र में खाद्य एवं औषधि प्रशासन की भर्ती नियमावली में संशोधन प्रकाशित हुआ, इसके अनुसूची-III में खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शैक्षणिक योग्यता का उल्लेख है,दस्तावेज में खाद्य प्रौद्योगिकी,डेयरी प्रौद्योगिकी,जैव प्रौद्योगिकी,तेल प्रौद्योगिकी,कृषि विज्ञान,पशु चिकित्सा विज्ञान,जैव-रसायन,सूक्ष्म जीव विज्ञान तथा रसायन विज्ञान आदि से संबंधित डिग्री का प्रावधान दिखाई देता है,लेकिन इसी राजपत्र का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा अनुसूची-IV है, इसमें चपरासी/ऑफिस अटेंडेंट से असिस्टेंट ग्रेड-III/सैंपल असिस्टेंट तक प्रमोशन का रास्ता दिया गया है,इसके लिए पांच साल की सेवा का प्रावधान है,इसके बाद सैंपल असिस्टेंट से ड्रग इंस्पेक्टर/फूड सेफ्टी ऑफिसर तक प्रमोशन का प्रावधान दर्ज है, जिसके लिए 10 वर्ष की सेवा का उल्लेख है, दस्तावेज में पदोन्नति के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता का भी संदर्भ अनुसूची-III से जोड़ा गया है,यानी दस्तावेजों को देखकर यह कहना सही नहीं होगा कि 2019 में चपरासी को सीधे फूड सेफ्टी ऑफिसर बनाने का नियम बना दिया गया,वास्तविक व्यवस्था एक पदोन्नति श्रृंखला की थी,लेकिन इसी कारण सवाल और गंभीर हो जाता है,अगर पदोन्नति की सीढ़ी बनाई गई थी तो उस सीढ़ी पर चढ़ने वाले प्रत्येक व्यक्ति के पास फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता थी या नहीं? यह जांच का विषय है।

2019 का संशोधन आखिर किस प्रक्रिया से हुआ?- अब सबसे कठोर सवाल विभाग की स्थापना शाखा से है, अगर 2019 में फूड सेफ्टी ऑफिसर के पद की योग्यता और पदोन्नति व्यवस्था में संशोधन किया गया, तो उस संशोधन की मूल नस्ती कहां है? उस फाइल में क्या प्रस्ताव था? किस अधिकारी ने प्रस्ताव तैयार किया? किस स्तर पर परीक्षण हुआ? क्या विधि विभाग की राय ली गई? क्या खाद्य सुरक्षा आयुक्त की स्वीकृति थी? क्या केंद्र सरकार के संबंधित प्रावधानों का परीक्षण किया गया? क्या आवश्यक अनुमोदन प्राप्त किया गया? और सबसे अहम 2019 के इस संशोधन के आधार पर जिन कर्मचारियों को आगे चलकर पदोन्नति मिली, उनकी शैक्षणिक योग्यता की जांच किस स्तर पर हुई? इन सवालों का जवाब केवल विभागीय रिकॉर्ड दे सकता है।

फिर 16 जनवरी 2023 को केंद्र सरकार का संशोधन क्यों महत्वपूर्ण है?- भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 16 जनवरी 2023 को खाद्य सुरक्षा और मानक (प्रथम संशोधन) नियम, 2022 अधिसूचित किए गए,राजपत्र में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यह संशोधन खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम,2006 की धारा 91 के तहत किया गया, इसमें 2020 के मसौदा नियमों पर जनता से प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर केंद्र सरकार द्वारा विचार किए जाने का उल्लेख भी है, इसके बाद खाद्य सुरक्षा और मानक नियम,2011 के नियम 2.1 में संशोधन किया गया, खाद्य सुरक्षा अधिकारी से संबंधित नियम 2.1.3 में योग्यता का प्रावधान बदला गया, इसमें फूड टेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी,ऑयल टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चरल साइंस,वेटरनरी साइंसेज,बायो-केमिस्ट्री,माइक्रोबायोलॉजी और केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट्स में बैचलर, मास्टर या डॉक्टरेट डिग्री की व्यवस्था दिखती है,यानी केंद्र का संशोधन कोई तय किया गया डिविजनल बदलाव नहीं था,उसके लिए ड्राफ्ट जारी हुआ,आपत्तियां आमंत्रित हुईं,उन पर विचार हुआ और फिर राजपत्र में अंतिम अधिसूचना प्रकाशित हुई,यहीं से 2019 के राज्य संशोधन को लेकर सवाल और धरदार हो जाता है।

अगर केंद्र ने 2023 में संशोधन किया तो 2019 में राज्य ने किस आधार पर बदलाव किया?-यह प्रश्न किसी अनुमान पर नहीं बल्कि उपलब्ध दस्तावेजों की तारीखों के कारण उठ रहा है, 10 जुलाई 2019 – छत्तीसगढ़ राजपत्र में संशोधन,16 जनवरी 2023 – केंद्र सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक नियम,2011 में प्रथम संशोधन नियम, 2022 की अधिसूचना,26 नवंबर 2025 – छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अपने भर्ती नियमों में फिर संशोधन, 2025 के छत्तीसगढ़ राजपत्र में संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत छत्तीसगढ़ खाद्य एवं औषधि प्रशासन (अराजपत्रित) सेवा भर्ती नियम,2011 में संशोधन किया गया, इसमें खाद्य सुरक्षा अधिकारी की योग्यता से संबंधित प्रावधानों को फिर से अधिकृत किया गया और बैचलर/मास्टर/डॉक्टरेट डिग्री से संबंधित योग्यता शामिल की गई,तो फिर 2019 और 2023 के बीच लागू व्यवस्था का आधार क्या था? यही वह सवाल है जिस पर विभाग को सार्वजनिक रूप से जवाब देना चाहिए।

'नियम' अगर सही थे तो फाइल खोलने में डर कैसा?- विभाग के पास यदि 2019 का संशोधन पूरी तरह नियमसम्मत था तो संबंधित पूरी प्रक्रिया रिकॉर्ड में होगी, नोटशीट होगी, प्रस्ताव होगा,अनुमोदन होगा, विधिक परीक्षण होगा,संबंधित अधिकारियों की टिप्पणियां होंगी,राजपत्र प्रकाशन की प्रक्रिया होगी,और यदि किसी केंद्रीय प्रावधान के आधार पर राज्य ने संशोधन किया था तो उसका पत्राचार भी उपलब्ध होना चाहिए,फिर इस मामले में जांच इतनी कठिन क्यों होनी चाहिए? जनता यह जानना चाहती है कि नियम किसके लिए बनाए गए और उनका इस्तेमाल किस तरह हुआ।

सैंपल असिस्टेंट से फ़ूड सेफ्टी ऑफ़िसर असली जांच यहां से शुरू होनी चाहिए- 2019 के राजपत्र में सैंपल असिस्टेंट से ड्रग इंस्पेक्टर/फ़ूड सेफ्टी ऑफ़िसर तक पदोन्नति के लिए 10 वर्ष की सेवा का प्रावधान दर्ज है,साथ ही पदोन्नति के लिए शैक्षणिक योग्यता का संदर्भ भी दिया गया है,इसलिए अब प्रत्येक पदोन्नति की अलग-अलग जांच की आवश्यकता है, कर्मचारी की नियुक्ति किस पद पर हुई थी? सैंपल असिस्टेंट कब बना? 10 वर्ष की सेवा कब पूरी हुई? डीपीसी में कौन-कौन सदस्य थे? अनुशंसा किसने की? अंतिम पदोन्नति आदेश किस अधिकारी ने जारी किया? इन सवालों के जवाब मिलने के बाद ही यह पता चल सकेगा कि 2019 के नियमों का वास्तविक इस्तेमाल किस प्रकार हुआ।

2021 की पदोन्नतियों पर भी उठे सवाल-इस पूरे प्रकरण में विभागीय स्तर पर यह आरोप भी सामने आया है कि 2019 के संशोधित प्रावधानों के आधार पर बाद के वर्षों में सैंपल असिस्टेंट्स को फ़ूड सेफ्टी ऑफ़िसर के पद पर पदोन्नति दी गई, यदि ऐसा हुआ है तो उन सभी आदेशों की वैधानिक जांच आवश्यक है,खासकर उन कर्मचारियों के मामले में जिन्हें लंबे समय तक सैंपल असिस्टेंट्स के पद पर रहने के बाद फ़ूड सेफ्टी ऑफ़िसर बनाया गया, यहां किसी कर्मचारी को दोषी मान लेना उचित नहीं होगा, लेकिन पदोन्नति की फाइल खोलकर योग्यता और प्रक्रिया की जांच करना विभाग की जिम्मेदारी जरूर है,क्योंकि सरकारी पदोन्नति में केवल वरिष्ठता या सेवा अवधि ही सब कुछ नहीं होती,संबंधित पद के लिए निर्धारित योग्यता और नियमों का पालन भी उतना ही महत्वपूर्ण है।

'खाद्य सुरक्षा' के विभाग में नियमों की सुरक्षा कौन करेगा?- जिस विभाग की जिम्मेदारी मिलावट रोकने और जनता को सुरक्षित खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने की है, उसी विभाग में अगर भर्ती नियमों और पदोन्नति प्रक्रिया को लेकर सवाल उठें तो इसे सामान्य प्रशासनिक विवाद कहकर टालना बेहद आसान रास्ता होगा,लेकिन आसान रास्ता हमेशा सही रास्ता नहीं होता,यहां जरूरत है स्वतंत्र और दस्तावेज आधारित जांच की, 2019 के संशोधन की मूल फाइल निकाली जाए, उसमें दर्ज सभी अनुमोदनों की जांच हो,2019 से अब तक खाद्य सुरक्षा अधिकारी पद पर हुई सभी पदोन्नतियों की सूची बनाई जाए,प्रत्येक कर्मचारी की शैक्षणिक योग्यता का सत्यापन किया जाए,डीपीसी की कार्यवाही सार्वजनिक की जाए,और यदि नियम बनाने या लागू करने में किसी अधिकारी की भूमिका संदिग्ध पाई जाती है तो उसकी जिम्मेदारी तय की जाए, क्योंकि सरकारी नियम कोई निजी संपत्ति नहीं हैं, जिन्हें सुविधा के हिसाब से मोड़ा जाए,अगर 2019 का संशोधन नियमों के मुताबिक था तो विभाग को पूरे दस्तावेज सामने रखने चाहिए और सवालों का पटाक्षेप करना चाहिए,अगर प्रक्रिया में कमी थी तो उसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए,और अगर किसी कर्मचारी को निर्धारित योग्यता के बिना लाभ मिला है तो वह भी रिकॉर्ड के आधार पर सामने आना चाहिए, अब सवाल किसी व्यक्ति विशेष का नहीं रह गया है,सवाल है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी जैसे महत्वपूर्ण पद की नियुक्ति और पदोन्नति व्यवस्था में नियम सर्वोपरि थे या फिर नियमों के साथ सुविधा का रास्ता भी बनाया गया था, जवाब विभाग को देना है,दस्तावेजों के साथ देना है, और साफ-साफ देना है,क्योंकि खाद्य सुरक्षा विभाग में अगर नियमों की ही सुरक्षा संदिग्ध हो जाए,तो फिर जनता अपनी थाली की सुरक्षा का भरोसा किस पर करे?

दस्तावेज बोल रहे हैं, अब विभाग की बारी है...

इस मामले की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि विभाग के सामने सवाल कागजों से निकलकर आ रहे हैं, 2019 का राजपत्र मौजूद है,2023 का केंद्र सरकार का संशोधन मौजूद है,2025 का छत्तीसगढ़ राजपत्र मौजूद है, 2015 की भर्ती का दस्तावेज मौजूद है,अब जरूरत केवल यह पता लगाने की है कि इन नियमों के बीच अधिकारियों ने क्या प्रक्रिया अपनाई,2019 के नियम में पदोन्नति का रास्ता मौजूद है, 2023 में केंद्र सरकार ने Rule 2.1.3 में संशोधन किया, 2025 में छत्तीसगढ़ ने फिर अपने भर्ती नियम में संशोधन किया, अब सवाल केवल इतना है की इन बदलावों के बीच जिन लोगों को पदोन्नति मिली, वे किस नियम के तहत पात्र थे?

CMYK

बहिनी मन ला वंदन
नारी शक्ति के अभिनंदन
तीजा एवं गणेश चतुर्थी
की हार्दिक शुभकामनाएं

श्री विष्णु देव साय
माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री

आस्था और सौभाग्य के लोकपर्व
तीजा पर नारी शक्ति को नमन

महतारी वंदन योजना
68 लाख
महिलाओं के खाते में अब तक
₹20,075 करोड़ अंतरित

लखपति दीदी
प्रदेश की **13.85 लाख**
से अधिक महिलाएं बनीं लखपति दीदी

संपत्ति में बढ़ी महिलाओं की हिस्सेदारी
जमीन की रजिस्ट्री में महिलाओं
को पंजीयन शुल्क में
50% की छूट

सखी वन स्टॉप सेंटर
तत्काल परामर्श एवं
कानूनी सहायता हेतु
42 केंद्र संचालित

महतारी सदन
सुविधा एवं सशक्तीकरण हेतु बनाए जा रहे
481 महतारी सदन

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना
जरूरतमंद परिवारों की बेटियों के विवाह हेतु
₹50 हजार की सहायता

महिला श्रमिकों को स्वरोजगार
श्रमिक दीदियों को **ई-रिक्शा सहायता**
से स्वरोजगार को बढ़ावा

संवाद 49041/56

'महतारी गौरव वर्ष', सशक्त महिलाएं, समृद्ध छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ जनसंपर्क | Visit us : /ChhattisgarhCMO /DPRChhattisgarh www.dprcg.gov.in

प्रकाशक,मुद्रक,स्वामी अविनाश कुमार सिंह के द्वारा सांई ऑफ्सेट प्रिंटर्स,नमनाकला,संत हरकेवल विद्यापीठ के पास,अम्बिकापुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-अविनाश कुमार सिंह* (पी.आर.बी.कानून के अनुसार संपूर्ण संपादकीय दायित्व के लिए जिम्मेदार)
RNI Reg.No.CHHHIN/2004/15050,डॉक रजिस्टर्ड क्र.:-13/सरगुजा/डीएन/2026-2028-मो. 94062-23001,98265-32611,Email:ghatatighatana11@ gmail.com,Website:www.ghatatighatana.com, (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र अम्बिकापुर न्यायालय मान्य होगा)